

डा० अम्बेडकर और दलित आन्दोलन

शेष साहित्य प्रकाशन

30/64, गली न० 8,
विद्यास नगर, छाहदरा, दिल्ली 110032

डा० अम्बेडकर और दलित आन्दोलन

धर्मवीर



शेध साहित्य प्रकाशन

30/64 गली न० 8 विन्बास नगर शाहदर। दिल्ली 32

संस्करण पहला, 1991
प्रकाशक शेष साहित्य प्रकाशन
 30/64 गली न० 8, विश्वास नगर
 शाहदरा दिल्ली-110032
मूल्य 30 00
मुद्रक जितेंद्र प्रिन्स
 बामरपुर रोड, शाहदरा दिल्ली 110032

Dr AMBEDKAR AUR DALIT ANDOLAN by Dharam veer
Price Rs 30 00 only

समर्पण

भारत राष्ट्र के महान
सविधान, ससद और सरकार को ।

—धर्मवीर

भूमिका

डा० अम्बेडकर ने दलितों की मांग को किसी हीनता और हिंसा से नहीं जोड़ा था। न ही वे अपनी बात को बहने से रुकते थे और न ही उन्होंने कभी समाज में अराजकता का पक्ष लिया। वे एक पढ़े लिखे और जिम्मेदार नेता थे और अपने काम के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उनकी सारी मांगें लोकतांत्रिक ढंग की थीं।

डा० अम्बेडकर का भारत के संवैधानिक कानून के विकास में विशेष योगदान रहा है। वे संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ और मास्टर थे। ऐसे ही, वे दूसरे कई विषयों के महान विद्वान थे। यह गांधीजी की विशेषता थी कि उन्होंने देश की आजादी और हिंसा के हथियार से हासिल करवाई पर डा० अम्बेडकर की विशेषता यह थी कि उन्होंने केवल संवैधानिक कानून और लोकतंत्र के द्वारा दलितों को आजादी के कगार पर ला कर खड़ा कर दिया। यदि पुरानी भाषा बाली जाए तो यह किसी जादू और चमत्कार से कम नहीं है।

डा० अम्बेडकर देश के राजनैतिक नेतृत्व से दलितों की मांग का नतिक आधार बनवा चुके थे। आज संविधान, ससद और सरकार तीनों—दलितों की मांग को एक मत से मानते हैं। इनमें कहीं कोई गलत फहमी नहीं है। कहा यह जाता है कि हमारा संविधान और कानून दलितों की दृष्टि से समार में सर्वश्रेष्ठ है। इतने अच्छे कानून का कहीं मुकाबला नहीं है।

अब समस्या का दूसरा पहलू यह है कि इन कानूनों को जमल में कैसे लाया जाए। यही ज्यादा दिक्कत आ रही है। इसके दो पक्ष हैं—समाज और लोक सेवा। समाज के सम्बन्ध में संविधान, ससद और सरकार क्रांतिकारी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में दलितों के सही दावों के हक में

का मतलब है कि समाज के मौजूदा व्यवहार में कई जगह ऐसी हैं जहाँ दलितों का अहित किया जाता है।

अगली बात लोक सेवा की रह जाती है। इसके तीन पक्ष हैं

(क) अच्छे प्रशासन के तरीके ढूँढ लिए गए हैं।

(ख) लोक सेवा सविधान, समद और सरकार की दिल से इज्जत करती है।

(ग) लोक सेवा सविधान, समद और सरकार की दिल से इज्जत नहीं करती।

जहाँ तक ऊपर क' का सम्बन्ध है, हम प्रशासन का अच्छा बनाने के प्रयोजन से लोक सेवा के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था की हर चरण और हर स्तर पर ज्यादा में ज्यादा सुनभ कराना है। हर सरकारी कर्मचारी के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता और अनिवार्यता रहनी चाहिए। इसमें प्रशासकों और कर्मचारियों की अपने काम पर पकड़ मजबूत होती है। यह व्यावसायिक निपुणता की बात है कि कोई एक बढई अच्छी मेज बनाता है और दूसरा अच्छी मेज नहीं बना पाता। यह विलुप्त कारीगरी जमा सवाल है कि काम को जल्दी तरह से करवाने के लिए हर कारीगर को उसके सभी ढंग मिलाए जाने चाहिए। साथ ही यह भी सिद्धांत रूप से माना जाना चाहिए कि सरकारी सेवाओं में पहली श्रेणी के अधिकारियों से लेकर चौथी श्रेणी तक के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

जहाँ तक ख' का सवाल है ऐसी लोक सेवा जो सविधान समद और सरकार की नीतियाँ का हृदय में सम्मान करती है, उसे ही प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ऐसा प्रशिक्षण ले कर वह मोने पर मुहागा हो जाती है। वह इस देश के कानून को लागू करने में उत्साह में काम करती है।

मुख्य समस्या ऊपर 'ग' में दर्शाई गई लोक सेवा से है। लोक सेवा सविधान, समद और सरकार का औजार है। यदि यह औजार उनकी बात नहीं मानता है तो फिर उस औजार के बारे में गहराई से सोचा जाना चाहिए। पहले ही कहा जा चुका है कि सविधान समद और सरकार इस देश के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक इतिहास में एक ऐसी क्रांति ला रहे हैं जो इस देश में पहले कभी नहीं देखी है। इसमें यह भी एक मानी हुई बात है कि हर क्रांति की एक प्रतिक्रिया होती है। सविधान, समद और सरकार को यह जरूर देखना है कि उसका लिए प्रतिक्रिया का काम कौन कर रहा है? ऐसा एक तत्त्व तो सीधे समाज में होना है, लेकिन इसका दूसरा तत्त्व लोक सेवा में भी हो सकता है।

इसलिए लोक सेवा की कोई कमीटी होनी चाहिए। हमने सिद्धा, परीक्षा और आयु की कमीटियाँ निर्धारित कर रखी हैं। इनके अलावा सभी वर्गों के लोगों के लिए समानता का अवसर प्राप्त है। इसमें सुझाव यह है कि लोक तंत्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता को भी एक महत्वपूर्ण कमीटी बनाया जाना चाहिए। यह विचारणीय है कि समानता के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए इस कमीटी को कैसे रखा जाए।

यहाँ केवल धर्म निरपेक्षता का एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। इसे भारत सरकार के कामिक, लोकशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की 1988-89 की वार्षिक रिपोर्ट में लिया जा रहा है। इसके अनुसार, भारत सरकार ने इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि जबकि सरकारी कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी भी धर्म को अपनाए जाने तथा उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता है, फिर भी उन्हें आम जनता में इस तरह आचरण करना चाहिए ताकि उनके बारे में किसी को लेश मात्र भी ऐसा न लग कि वे धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त के पक्ष में नहीं हैं। यह एक बात हुई। इसमें दूसरी बात यह है कि अपने जन्म से ही धर्म निरपेक्ष परम्परा का बहन करने वाले लोगों से सरकारी कामकाज में धर्म निरपेक्ष आचरण की अपेक्षा रखना ज्यादा व्यावहारिक और कारगर सिद्ध हो सकता है। इसलिए यदि सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में ऐसे लोग बने बनाए, या बड़े ढुंढाए और पदायशी मिल जाएँ जो अपने निजी जीवन और दृष्टिकोण में पहले से ही धर्म निरपेक्ष भावना के हो तो वे सरकारी नीतियों को ज्यादा सफलता से लागू कर सकेंगे—और यह विश्वास रखने का हमारे पास पूरा आधार है कि भारतीय समाज में ऐसे पदायशी धर्म निरपेक्ष लोग काफी बड़ी संख्या में होते हैं।

कुल मिला कर यह बात जरूरी है कि इस सवधानिक क्रान्ति को विफल होने से और भारतीय समाज का दुष्घटना से बचाया जाए। इसका उपाय यह है कि इसे बयनी और करनी के अंतर से और हिप्पोक्रैसी से बचाया जाए। ऐसा पहले भी हुआ है और दार्शनिक स्तर पर हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक ओर पार मार्थिक दृष्टि से अद्वैत ब्रह्म का प्रचार किया है और दूसरी ओर अपने व्यावहारिक जीवन में अछूतपन को बरता है। यह अब भी हो सकता है कि एक ओर सविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली जाए और दूसरी ओर उसे भीतर से नष्ट कर दिया जाए। यह प्रतिक्रान्ति की एक महत्वपूर्ण रणनीति होती है।

अन्त में, इस लेख के बारे में यह कहना जरूरी है कि इसमें ब्यक्त विचार मेरे अपने विचार और दृष्टिकोण हैं, सरकार के नहीं।

धर्मवीर

23 मार्च, 1990
नई दिल्ली

एफ 115, प्रगति विहार, सोदी रोड,
नई दिल्ली 110003

डा० अम्बेडकर और दलित आंदोलन

1

हिन्दुस्तान के दो प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। रामायण में राम और महाभारत में कृष्ण महापुरुष हैं। ये दोनों नायक प्राचीन हिन्दू सस्कृति के आधार पुरुष बन गए हैं। लेकिन इन दोनों महापुरुषों की सारी ऊँचाइयों के बावजूद इनके युगों पर दो कलक लगे हुए हैं। राम के समय में शम्बूक का गला काटा गया है और कृष्ण के समय में एकलव्य का अगूठा काटा गया है। यह एक अजीब बात है कि शम्बूक और एकलव्य दोनों में से एक भी द्विज नहीं है।

भारत की बीसवीं शताब्दी को गांधी का युग कहा जा सकता है। इस समय इस देश ने एक हजार वर्ष पुरानी गुलामी के जुए को उतार फेंका था। गांधी इस युग के महानायक के रूप में उभर कर सामने आए थे। इसी काल में युग पुरुष डा० अम्बेडकर ने जन्म लिया और भारतीय सस्कृति के उत्थान में बहुत योगदान दिया। यह बात अच्छी मानी जाए या बुरी मानी जाए लेकिन यह सच है कि डा० अम्बेडकर ने भी अपने समय में महात्मा गांधी से कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल किए थे। यदि राम के युग पर शम्बूक के वध का तथा कृष्ण के युग पर एकलव्य के अगूठा कटने का कोई समाधान कारक उत्तर नहीं है तो गांधी के युग के पास भी डा० अम्बेडकर के प्रश्नों का कोई समाधान नहीं है। यह सवर्ण समाज की तार्किक परिणति है कि डा० अम्बेडकर भी द्विज नहीं थे।

डा० अम्बेडकर के आगमन से पहले दलितों में सामाजिक चेतना

का जागरण आरम्भ हो गया था। ये जागरण तीन तरह के थे। पहले सवर्णों के कई महापुरुषों ने दलितों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को शास्त्र सम्मत सिद्ध किया था। इनमें स्वामी दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द के नाम गिनाए जा सकते हैं। दूसरा स्वयं दलितों का सामाजिक नेतृत्व सामने उभर कर आया था। इनमें महाराष्ट्र में महात्मा ज्योति बा फुले और केरल में श्री नारायण गुरु का नाम देखा जा सकता है। तीसरे, ईसाई मिशनरियों का धर्म परिवर्तन का आन्दोलन था। वास्तव में यह ईसाई मिशनरियों का ही दोहरा प्रभाव था कि दलितों में से उनका सामाजिक नेतृत्व उभर रहा था और सवर्णों के महापुरुष अपने शास्त्रों की युग सम्मत व्याख्या करने में जुट गए थे।

अम्बेडकर ने तीनों प्रभावों को अपने हाथ में ले कर आगे बढ़ाया था। अम्बेडकर ने यह भी सिद्ध करके दिखाया था कि इस काम में उनके हाथ सबलतम हैं। उन्होंने महात्मा ज्योति बा फुले का अपने जीवन में बहुत सम्मान किया था। दूसरे, उन्होंने हिन्दू धर्म शास्त्रों के अपने युग के धार्मिक व्याख्याकारों को चुनौती दी थी। तीसरे, उन्होंने ईसाइयों के धर्म परिवर्तन के आंदोलन को एक तरह से निष्प्राण और निष्क्रिय कर दिया था।

अम्बेडकर के जीवन सघर्ष और उनके साहित्य और दशन को देखने से पता चलता है कि दलितों का उनसे बढकर कोई हमदद नहीं था। उन्होंने जिस बग की लड़ाई अपने हाथों में ली थी वह पिछले दो हजार वर्षों से अधिक समय से सोया हुआ था। ऐसे मूक और गूँगे समाज का सशक्त नेतृत्व बहुत मुश्किल का काम था। डा० अम्बेडकर को नेतृत्व के लिए अपनी जनता से शक्ति नहीं मिल रही थी बल्कि वे उसे शक्ति और दिशा दोनों दे रहे थे। हिन्दुओं का सवर्ण हिस्सा और भारत का मुस्लिम समाज अग्रजों के केवल राजनतिक गुलाम थे। गांधी के युग में हिन्दुओं का सवर्ण समाज और भारत के मुस्लिम दोनों ही सेनाओं में भर्ती थे, प्रशामन में नीकर चाह थे और खेती, व्यापार और उद्योग में इनके विस्तार थे। इन सभी क्षेत्रों से दलित बग पूर्णतः वंचित था।

दलितों के आन्दोलन का सवर्ण समाज साफ साफ उभरने नहीं

देता था। दलितों की समस्या को सर्वण लोग अपने समाज की आन्तरिक समस्या मानते थे और उसका कोई समाधान भी प्रस्तुत नहीं करते थे। वे देश के सामने दलितों के केस का स्पष्ट मुद्दा ही नहीं बनने देते थे। यह डा० अम्बेडकर की सूझ बूझ और उनके नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता थी कि उन्होंने अपने समय में दलितों की समस्या को देश का मुख्य मुद्दा ही नहीं बनाया बल्कि उसे सार्वजनिक जीवन की मुख्य धारा का एक अटूट हिस्सा बना दिया था। उन्होंने गांधी के आमरण अनशन के रूप में पूरे देश को हिला कर रख दिया था। उन्होंने इस समस्या को प्रान्तीय स्तर पर छुटपुट सामाजिक सुधारों की अपेक्षा अखिल भारतीय स्तर पर खड़ा करके पूरे विश्व के सामने समग्र भारतीय जातिवद्ध समाज को ऊपर से नीचे तक झकझोर दिया था।

डा० अम्बेडकर ने दलितों के आन्दोलन को हर क्षेत्र में अति उच्च स्तर पर ला कर खड़ा कर दिया था। धर्म के क्षेत्र में 1936 में 'एनिहिलेशन आफ कास्ट' लिख कर हिन्दू शास्त्रों की जितनी खोज-बीन उन्होंने की है और जितने गहन अध्ययन और विश्लेषण के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है उसके सामने बड़े-से बड़े आचार्य दग रह जाते हैं। इस क्षेत्र में उनकी 1956 में प्रकाशित महानतम पुस्तक 'द बुद्ध एण्ड हिज धम्म' है जो बौद्ध बाइबिल कही जाती है। उन्होंने शूद्रों और अछूतों के प्राचीन इतिहास की जितनी गम्भीर खोज और जाच पड़ताल की है दूसरे विद्वान उसे पढ़ते ही उनकी बौद्धिक क्षमता का लोहा मान लेते हैं। उन्होंने इस विषय पर 1946 में 'हू वर शूद्राज ? हाउ दे केम टु बी द फोथ वर्ण इन् इन्डो आयन सोसायटी' और 1948 में 'द अनटचेबल्स—हू वर दे एण्ड व्हाई दे विकेम अनटचेबल्स ?' नाम की दो खोजपूर्ण पुस्तकें लिखी थीं। महाराष्ट्र सरकार ने उनके अप्रकाशित ग्रन्थों के जो खण्ड छापे हैं उसका पाचवाँ भाग पुनः अछूतों पर है। उसमें उनकी एक अन्य अप्रकाशित पुस्तक 'अनटचेबल्स आर द चिल्ड्रन आफ इंडियाज घेट्टो' संकलित है।

सामाजिक सुधार और धार्मिक आन्दोलनों के रूप में डा० अम्बेडकर ने सबसे पहले 1927 में दलितों के एक आन्दोलन की अगुवानी करते हुए मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से फूका था और एक दलित के रूप में महाद के चोबदार नामक सावजनिक तालाब से पानी पिया था।

उन्होंने सन 1930 में नासिक के 'काला राम मंदिर' में दलित प्रवेश का विगुल बजाया था। इस मंदिर में प्रवेश का उनका सत्याग्रह 1935 तक चलता रहा था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 1946 में 'प्यूपिल्स एजुकेशन सोसाइटी' बना कर स्कूल और कालिजो की भरमार खड़ी कर दी थी। उन्होंने 1950 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिलिन्द महाविद्यालय की नींव रखी, 1953 में बम्बई में सिद्धार्थ कालेज आफ कामस एण्ड इटोनोमिक्स की स्थापना की और जून 1956 में बम्बई में सिद्धार्थ लॉ कालेज खड़ा किया।

इन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में दलितों की समस्या का राजनीतिकरण किया था। इसके लिए उन्होंने अप्रैल 1942 में शेड्यूलड कास्ट फेडरेशन और सन 1956 में रिपब्लिकन पार्टी को जन्म दिया था। उनका गांधी से टकराव भी इसी कारण कभी कभी हो जाया करता था। जो सम्पूर्ण समाज में महत्त्व की दृष्टि से नगण्य थे, जिन्हें मनुष्य तक कहने में लोगों को एतराज था, उनकी लड़ाई को राजनैतिक स्तर पर जा कर लड़ा जाए यह डा० अम्बेडकर का विश्व के सामाजिक जीवन में मानवीय स्तर पर जबर्दस्त योगदान था। यह उनके चिन्तन की इतनी बड़ी छलांग थी जो दुनिया की उठती हुई दूसरी गरीब कौमो के लिए एक अनूठी मिसाल थी। अमरीका के नागरिक होते हुए भी नीग्रो जनता को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला था।

डा० अम्बेडकर ने दलित आन्दोलन को विस्तार और गहराई दोनों दी थी। राजनैतिक दृष्टि से तो उन्होंने इसे जन्म भी दिया था। यह बात डा० अम्बेडकर के राजनीति में सक्रिय होने से पहले तय हो गई थी कि हर दसवें साल होने वाली जन गणना में दलितों की अलग से गिनती हो। जन गणना में दलितों की अलग गिनती करने के लिए दलितों की एक अलग परिभाषा की जरूरत पड़ी थी। तत्कालीन सवर्णों ने दलितों की हिन्दुओं से अलग पहचान वाली परिभाषा बनने देनी नहीं चाही थी। लेकिन यह काम फिर भी हो सका था। इन परिभाषाओं में सुधार और परिवर्तन भी होता रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि इससे समस्या का समाधान हो गया था। डा० अम्बेडकर के सामने सवर्णों की ओर से दी गई नई और गम्भीर चुनौतियाँ थीं।

गोलमेज सभा के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लाड लोथियन को 'दण्डियन फ्रैंचाइज कमेटी' का चेयरमैन बनाया था। इस कमेटी के

सामने यह मुद्दा था कि पिछड़े वर्गों के लिए राजनैतिक आरक्षण में नामिनेशन करने का तरीका अपर्याप्त है इसलिए इन वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व चुनाव के द्वारा कराने की व्यवस्था ठीक रहेगी। डा० अम्बेडकर को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया था और वे इसमें दलितों के एक मात्र प्रतिनिधि थे। इसमें सबर्णों के आधा दर्जन सदस्य थे। फिर भी डा० अम्बेडकर ने इस कमेटी की बहसों के लिए अपने आपको पूरी तरह तैयार कर रखा था। डा० अम्बेडकर ने सोच रखा था कि इसमें 'सयुक्त वनाम पृथक चुनाव' का मुद्दा उठ कर आएगा। लेकिन डा० अम्बेडकर ने लिखा है कि वे यह जान कर दग रह गए थे कि सबर्णों ने इसमें अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल डाली थी। उन्होंने लिखा है—'लेकिन उस कमेटी में सबर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने एक बिल्कुल ही भिन्न और अप्रत्याशित समस्या उठाई जिसकी मुझे भनक भी नहीं मिल सकी थी। यह अछूतों की जन सख्या को कम करने की रणनीति थी।'¹ सबर्णों ने अस्पृश्यता की ऐसी परिभाषा बनानी चाही थी कि अस्पृश्यों की जन सख्या बहुत कम हो जाए ताकि उनका जन सख्या के अनुपात में राजनैतिक प्रतिनिधित्व नगण्य बन कर रह जाए।

डा० अम्बेडकर लन्दन में होने वाली गोल मेज सभा में दलितों के प्रतिनिधि बन कर गए थे । गांधी जी पहली गोल मेज सभा में नहीं गए थे लेकिन दूसरी गोल मेज सभा में गए थे । उसमें डा० अम्बेडकर को गांधी जी की जिस बात का विशेष अफसोस और रज था वह यह थी कि गांधी जी ने डा० अम्बेडकर द्वारा दलितों के प्रतिनिधित्व को और स्वयं उनकी ईमानदारी को नकारना चाहा था ।

गांधी जी ने गोल मेज सभा की वृहत्सो में डा० अम्बेडकर को दलितों का प्रतिनिधि नहीं माना था । उन्होंने बार-बार डा० अम्बेडकर के प्रतिनिधित्व को खुली चुनौतियाँ दी थीं । 17 सितम्बर, 1931 को सच सरचना समिति के सामने बोलते हुए गांधी जी ने कहा था

“यदि यह समान विचार रखने वाले समान उद्देश्यों से परिचालित ऐसे सदस्यों की समिति होती जिन्हें अपने मत दे कर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का अधिकार होता तो मैं डा० अम्बेडकर के साथ बहुत दूर तक जा सकता था । लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है । यह तो बेतरतीब ढंग से चुने बेमेल लोगों की एक मडली है जिसका प्रत्येक सदस्य शेष से सबथा स्वतंत्र है और इसलिए उसे किसी भी सामान्य नियम का टयाल किए बिना अपनी राय देने का अधिकार है ।”²

उन्होंने आगे कहा था

‘जहाँ तक अस्पृश्यों का सम्बन्ध है, अभी तक मैं यह नहीं समझ पाया हूँ कि डा० अम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं । लेकिन

इतना तो है ही कि अस्पृश्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का गौरव अकेले डा० अम्बेडकर साहब को ही प्राप्त नहीं होगा।”³

2 अक्टूबर, 1931 को अल्प सख्यक समस्या समिति की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा था

“हम में से प्रायः सभी, हम जिन दलों या समुदायों के प्रतिनिधि समझते जाते हैं, उनके निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। हम यहाँ सरकार द्वारा मनोनीत होकर आए हैं, और जिनकी उपस्थिति एक सर्वसम्मत समाधान के लिए अत्यन्त आवश्यक थी, वे भी यहाँ आपको नहीं मिलेंगे।”⁴

16 अक्टूबर 1931 से पूर्व गांधी जी ने लन्दन में एक प्रश्नोत्तर में भाग लिया था। प्रश्नोत्तर के एक अंश में गांधी जी कहते हैं

“मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि डा० अम्बेडकर देश के उसी भाग की तरफ से बोलते हैं जिस भाग में वे रहते हैं। हिन्दुस्तान के दूसरे भागों की तरफ से वे नहीं बोल सकते। मुझे देश के कई भागों से तथाकथित ‘अस्पृश्यों’ की ओर से असरय तार मिले हैं जिनमें उन्होंने डा० अम्बेडकर को अपना प्रतिनिधि मानने से इनकार किया है।”⁵

गांधी जी ने आगे कहा था

“जब मैं उनका (अस्पृश्यों का) प्रतिनिधित्व करने की बात करता हूँ तब गोल मेज परिपद में प्रतिनिधित्व करने की बात कहता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि कोई हमारे इस दावे को चुनौती देता है तो मैं खुशी से जनमत संग्रह का सामना करूँगा और उसमें सफल होऊँगा।”⁶

31 अक्टूबर, 1931 के दिन लन्दन के फ्रेंड्स हाउस में भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा था

“अगर वे (डा० अम्बेडकर) अस्पृश्यों के सच्चे प्रतिनिधि होते तो मैं अलग हो जाता। मैं उनका अस्पृश्यों का प्रतिनिधि होने का दावा स्वीकार नहीं करता। उनका

प्रतिनिधि मैं हूँ। आप उनमें पूछ कर देखिए। हो सकता है, वे मुझे न चुने, लेकिन डा० अम्बेडकर तो कदापि नहीं चुने जायेंगे।”⁷

12 नवम्बर, 1931 को लन्दन की कामन वेल्थ आफ इंडिया लीग में बोलते हुए गांधी जी ने कहा था

“यद्यपि मैं डा० अम्बेडकर का प्रतिनिधि नहीं हूँ लेकिन दलित वर्गों का अवश्य हूँ।”⁸

13 नवम्बर, 1931 की दूसरी गोल मेज सभा की अल्प सख्यक समस्या समिति की बैठक में बोलते हुए गांधी जी ने कहा था

“मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से अछूतों के विशाल समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ। यहाँ मैं स्वयं अपनी ओर से भी बोल रहा हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि अछूतों का मत लिया जाए तो मुझे उनके मत मिलेंगे और मेरा स्थान सबसे ऊपर होगा।”⁹

उन्होंने इस क्रम में आगे कहा था

“अपने उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखते हुए मैं यह कहता हूँ कि डा० अम्बेडकर का सारे भारत के अछूतों की ओर से बोलने का दावा उचित नहीं है।”¹⁰

इस प्रकार देखा जा सकता है कि गांधी जी ने डा० अम्बेडकर के दलितों की ओर से बोलने के अधिकार को ही चुनौती दे डाली थी। डा० अम्बेडकर को त्रिटेन में इस समस्या का सामना करना पड़ा था। तब के दलितों के पास धर्म, धन, सत्ता और सम्मान में से कुछ भी हासिल नहीं था। लेकिन इम मुसीबत को चरम परिणति इस बात में थी कि उनका प्रतिनिधित्व और नेतृत्व भी उनसे छीना जा रहा था। जब दलितों को अपना प्रतिनिधि आप बनने का अवसर न मिले तो यह दलितों के इतिहास की सबसे बड़ी विडम्बना होती है। उनके इस विचार के विरोध में डा० अम्बेडकर ने 8 अक्टूबर, 1931 को गोल मेज सभा की अल्प सख्यक समिति की नौवीं बैठक में कहा था

“हम इस आरोप को नहीं त्कार सकते कि हम सरकार के नामित व्यक्ति हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा खाल है, मुझे इस

वारे में जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि भारत के दलित वर्गों को इस कान्फ्रेंस के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका दिया जाता तो वे मुझे जरूर चुनते। इसलिए मैं कहता हूँ कि चाहे मैं नामित प्रतिनिधि हूँ या नामित प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं अपने समुदाय के लोगों के दावों का पूरी तरह प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले में कोई किसी गलतफहमी में न रहे।”¹¹

गांधी जी ने इस दावे के बारे में कि दलितों का प्रतिनिधित्व वे डा० अम्बेडकर से अधिक करते हैं, डा० अम्बेडकर ने इसी बैठक में कहा था

“इस दावे के बारे में मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि गैर जिम्मेदार लोग ऐसे झूठे दावे किया ही करते हैं जबकि सच यह होता है कि उन दावों से सम्बन्धित लोग उन्हें सदा ही नकारते हैं।”¹²

गांधी जी डा० अम्बेडकर के बारे में कुछ और भी कह जाते थे। उन्होंने 24 अक्टूबर 1931 को आक्सफोर्ड में भारतीय मजलिस में डा० अम्बेडकर की गोल मेज सभा में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के बारे में कहा था

“हो सकता है, उससे खुद उन्हें (डा० अम्बेडकर को) सत्ता और पद मिल जाए लेकिन अस्पृश्यों की कोई भलाई नहीं होने वाली है।”¹³

आय समाज के जात पात तोड़क मंडल ने डा० अम्बेडकर को अपने 1936 के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया था। यह अधिवेशन लाहौर में होने वाला था। डा० अम्बेडकर ने इसके लिए अपना अध्यक्षीय भाषण लिख कर तैयार किया था। जात पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति ने तय पाया कि अध्यक्षीय भाषण में व्यक्त विचार मंडल को सहन नहीं होंगे। इसलिए 1936 का वह अधिवेशन ही रद्द कर दिया गया था। डा० अम्बेडकर ने अपने उस भाषण को उसका पूरा कारण बताते हुए ‘एन्निहिलेशन आफ् कास्ट’ नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित करा दिया।

गांधी जी ने इस पुस्तक पर अपने 'हरिजन' पत्र में 'डा० अम्बेडकर का अभियोग' शीर्षक से तीन किशतों में एक लेख लिखा था। इसमें गांधी जी ने अथवा बातों के अलावा यह भी लिखा था

"वे भविष्य में जो कुछ भी करे लेकिन डा० अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को कभी भूलने नहीं देते।"¹⁴

ऊपर देखा जा सकता है कि गांधी जी डा० अम्बेडकर पर कभी सत्ता और पद के लोभ का और कभी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगा देते थे। इस बारे में डा० अम्बेडकर ने अपनी प्रति क्रिया इन शब्दों में जाहिर की थी

"जबकि मैं गांधी जी की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने मेरी इस पुस्तक पर अपनी राय लिखी है, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि ये महात्मा मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैंने बिना दिए भाषण को छपवा कर व्यापारि अर्जित करने की कोशिश की है। ये महात्मा कुछ भी कहे लेकिन इस पुस्तक को छपवाने में मेरा उद्देश्य यह था कि हिन्दुओं को सोचने के लिए मजबूर किया जाए कि वे वस्तुस्थिति को समझे। मैं कभी नाम कमाने के पीछे नहीं दौड़ा हूँ और यदि वह तो मुझे यह व्यापारि मेरी चाहत और जरूरत से ज्यादा मिली हुई है। लेकिन यदि यह माना भी जाए कि मैंने यह पुस्तक अपने लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रकाशित कराई है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मुझ पर इस आरोप को लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह तो सच है कि महात्मा जैसे लोग जो खुद इस गिरफ्तार में आ सकते हैं मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकते।"¹⁵

गोल मेज सभा के बाद ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रेम्जे मकडानाल्ड ने भारत को 17 अगस्त 1932 के दिन कॅम्पूनल अवाइड दिया था। गांधी जी ने इस अवाइड के खिलाफ आमरण अनशा कर दिया था। तब गांधी जी जेल में थे। इस अनशन की समाप्ति के रूप में 1932 में एक समझौता हुआ था जिसे 'पूना पैक्ट' कहा जाता है।

1931 का पूना पैक्ट भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह इतिहास का एक ऐसा मिलान बिन्दु था जिसमें सवर्णों और दलितों को अपने-अपने विचारों को त्यागना पडा था। इस पूना पैक्ट के तहत सवर्णों ने अपने हिस्से में से कुछ दिया था और दलितों को कुछ मिला था। इसमें कई सवर्ण यह सोचने लगे कि इस देने में उनका सबस्व लुट गया है और कई दलित यह कहते पाए गए कि वास्तव में उन्हें कुछ भी नहीं मिला।

कम्यूनल अवाड के अनुसार दलितों को दो वोटों का अधिकार मिला था। राजनैतिक आरक्षण को आधार बना कर विधायिका में इन लोगों के लिए 78 सीटें आरक्षित की गई थी। इन्हे विशेष चुनाव क्षेत्र कहा गया था। दलितों को अधिकार दिया गया था कि इन 78 चुनाव क्षेत्रों में दलित अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनेंगे। सामान्य वग के लोग उसमें वोट नहीं डालेंगे। इनके सिवा अन्य सभी सामान्य सीटों के लिए भी दलित अपना वोट देंगे। इस प्रकार दलितों को मिली हुई दो वोटों का अर्थ था—

- 1 अपना प्रतिनिधि वे स्वयं चुनेंगे,
- 2 सामान्य प्रतिनिधि चुनने में भी अपना पूरा असर रखेंगे।

इस प्रकार कम्यूनल अवाड के कारण वे पूरी भारतीय राजनीति की कौली बन गए थे।

पूना पैक्ट में सवर्णों की दृष्टि से दलितों के लिए दुगुनी सीटें आरक्षित की गई थी और राजनैतिक धारा की दृष्टि से इसका फल बिलकुल दूसरा हुआ था। पूना पैक्ट ने आरक्षित सीटें 78 की बजाय 151 कर दी थी लेकिन उसमें यह भी तय हुआ कि दलितों के प्रतिनिधियों को दलित और सामान्य वग के लोग मिल कर चुनेंगे। यह समझीता 24 सितम्बर, 1932 को यरवदा जेल पूना में हुआ था। इसमें दलितों की ओर से डा० अम्बेडकर ने और हिन्दुओं की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें हस्ताक्षर करने वालों में अन्य प्रमुख नाम राज गोपालाचार्य, डा० राजेन्द्र प्रसाद और ठक्कर बापा के थे।¹⁸

कम्यूनल अवाड से ल कर पूना पैक्ट तक में दलितों की अब तक की राजनीति का सार है। आज बल दलित आन्दोलन के समीक्षकों द्वारा दलित राजनैतिका पर तरह-तरह के आरोप लगाए जाते हैं।¹⁹ उनके

शिकायत होती है कि राजनीति के क्षेत्र में वे दलितों की सच्ची आवाज नहीं बनते हैं। उधर यह भी सच है कि देश की पूरी राजनीति से जुड़ कर हर पाँच साला या मध्यावधि चुनाव दलितों को कुछ न कुछ दे कर जाता है। डा० अम्बेडकर दलितों की बड़ी सरया को भारत की राजनीति में एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते थे। यह काम डा० अम्बेडकर जिस रफ्तार में चाहते थे वैसे नहीं हो रहा है लेकिन यह मानना पड़ेगा कि यह धीरे धीरे अवश्य हो रहा है। भारतीय राजनीति सीधे सीधे दलितों के हाथ में नहीं आ रही है पर वे समूची भारतीय राजनीति पर अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे हैं।

इन वर्गों के लिए राजनीतिक आरक्षण में सासदों और विधायकों के लिए चुनाव क्षेत्र आरक्षित होते हैं। ये लोक सभा और विधान सभाओं में लागू होते हैं। ये आरक्षण संविधान के लागू होने से आज तक हर बार दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाते रहे हैं। आगे भी इनके काफी दिनों तक बढ़ते रहने की संभावना है। इस स्थिति का विश्लेषण यह कहता है कि अभी भी राजनीतिक दृष्टि से दलितों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में पूरा होने के बाद भी गुणात्मक रूप से परिपक्व अवस्था में नहीं आ सका है। इस सच की मुसलमानों के प्रतिनिधित्व से तुलना की जा सकती है। इस समय भारत में मुसलमानों की जनसंख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या से बहुत कम है। मुसलमानों के लिए ऐसे किसी राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था भी नहीं है। फिर भी मुसलमानों के प्रतिनिधि सामान्य सीटों से चुनाव जीत कर एक बड़ी संख्या में सासद और विधायक बनते हैं। लोक सभा में मंडल आयोग की रिपोर्ट पर बहस के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त 1984 के आँकड़ों के अनुसार अल्पसंख्यकों की जनसंख्या कुल का 10.5 प्रतिशत होने के मुकाबले में उनका राजनीति में प्रतिनिधित्व 3.0 प्रतिशत है। इसके विपरीत, यदि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का राजनीतिक आरक्षण समाप्त कर दिया जाए तो इसकी पूरी-पूरी संभावना है कि इन वर्गों की मुसलमानों से अधिक जनसंख्या होने पर भी इन वर्गों का एक व्यक्ति भी सासद या विधायक न बन पाए। इस परिणाम पर इस कारण पहुँचा जा सकता है कि इस समय

इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीटों में से कोई इक्का-दुक्का सासद या विधायक चुन कर आ पाता है हालाँकि इन्हे लोक सभा की सारी 543 सीटों पर चुनाव लड़ने की मनाही नहीं है। यदि इनके राजनैतिक नेतृत्व में परिपक्वता हो तो ये लोग भारतीय राजनीति की अधिक सक्रिय और कारगर सेवा कर सकते हैं।

पिछले पृष्ठों में अम्बेडकर और गांधी का वार्तालाप दिया गया है लेकिन वास्तव में डा० अम्बेडकर और गांधी जी को एक साथ समझना इतना आसान काम नहीं है। गांधी जी के बारे में अनेक लोगो ने माना है कि वे एक जटिल व्यक्ति थे। डा० अम्बेडकर भी कई लोगो के लिए समझ में न आ सकने वाली एक पहली थी। जब ये दोनो महापुरुष अकेले-अकेले जटिल थे तो इनके साथ साथ होने पर वह स्थिति बेहद जटिल बन जाती थी।

महापुरुषों की छोटे या बड़े के रूप में तुलना नहीं की जा सकती। हम केवल यह जानने का प्रयत्न करें कि ये दोनो महापुरुष एक दूसरे को कितना समझते थे। हम उन क्षणों को ढूँँ जहाँ ये दोनो एक दूसरे से टकराव में आते थे, पर हम उन क्षणों को भी जानें जब ये दोनो सहलास में बैठ कर एक दूसरे की प्रशंसा किया करते थे। इसमें सदेह नहीं कि इतिहास में ये दोनो क्षण मौजूद हैं।

गांधी जी ने डा० अम्बेडकर को हिन्दू धर्म के लिए एक चुनौती कहा था। दूसरी ओर डाक्टर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था — 'महात्मा गांधी न केवल दलितों के एक मित्र का पाठ अदा नहीं कर रहे हैं किन्तु वह एक ईमानदार दुश्मन का पाठ भी अदा नहीं कर रहे हैं।' ¹⁹ उन्होंने गोल मेज सभा के बाद भारत में आ कर अपनी जनता से कहा — 'मुझे देशद्रोही कहा गया है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया है। मैं इस आरोप से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। यह आधार रहित, झूठ तथा मन की गन्दगी से भरा है लेकिन सत्कार को इससे बड़ा धक्का लगा कि गांधी जी ने तुम्हारी बेडियाँ तोड़ने के अनेकों विरोध किए। मुझे विश्वास है कि हिन्दुओं की भावी सन्तान जब गोल

मेज सभा का इतिहास पढ़ेगी तो मेरी सराहना करेंगे।

वैचारिक और राजनैतिक विरोध के साथ-साथ इन दोनों महापुरुषों ने एक दूसरे की सराहना भी की है। बहुत जल्दी ये एक-दूसरे को पूरी तरह समझ गए थे। इन दोनों को एक दूसरे की कद्र करते हुए एक दूसरे के साथ रहना था। ये दोनों ऐसी जगह पहुँच गए थे कि एक दूसरे को भ्रम में नहीं रख सकते थे और धोखा नहीं दे सकते थे। ये एक दूसरे के सामने राजनीति नहीं खेल सकते थे। यदि गांधी जी का काम अम्बेडकर के सामने खालिस राजनीति से चल सका होता तो वे 1932 में आमरण अनशन के लिए मजबूर न होते। डा० अम्बेडकर ने गांधी जी को जिस जगह ढकेल दिया था, उस जगह गांधी जी के पास आमरण अनशन के सिवा कोई चारा नहीं रह गया था। गांधी जी ने अपने राजनैतिक जीवन में जिस तरह के हथियारों को तरजीह दी थी, अम्बेडकर के सामने उन्होंने उसमें से सबसे खतरनाक हथियार का प्रयोग किया था। गांधी जी के पास आमरण अनशन से बढ़ कर अपना कोई दूसरा ब्रह्मास्त्र शेष नहीं रह गया था। इसमें कोई मन्देह नहीं कि यदि वे दूसरी तरह के व्यक्ति होते तो दूसरी तरह का सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करते। लेकिन जो वे नहीं थे उसके बारे में कुछ भी सोचना बेकार है। वे राम नहीं थे जो शम्बूक का गला काटने चल देते। लेकिन गांधी जी के इस आमरण अनशन से स्थिति इतनी खतरनाक हो गई थी कि उसके अनन्तर कुछ भी कसर बाकी नहीं थी। इस प्रकरण को ले कर उनके अनुयायियों में से अधिकांश की सोच अजीब तरह की हो गई थी।

डा० अम्बेडकर राजनीति नहीं खेलते थे। वे हमेशा राजनैतिक जजीर को तोड़ कर फेंक देते थे। न ही उनका आन्दोलन चलाने के लिए हिंसा में विश्वास था। वे यही कहते थे कि मेरे सामने आओ और और मुझसे बात करो। वे समस्या को आदिमियों की तरह तर्क से, बहस से और समझदारी से सुलझाना चाहते थे। उनका हथियार उनको विद्वत्ता थी। वे भारतीय समाज में लोक तंत्र और कानून के द्वारा श्रान्ति चाहते थे। इस मामले में उनका रास्ता गांधी जी के जैसा ही था। गांधी जी का अप्रेजा में यही कहना था—'हमने आपका क्या

विगाडा है ? आप हमारे देश पर कब्जा किए हुए हैं। इस देश को हमारे हाथों में छोड़कर चले जाओ। इसमें लड़ाई भिड़ाई की कोई बात नहीं।" डा० अम्बेडकर भारतीय समाज से यही कहते थे—“आप हमें मनुष्य न मान कर अछूत क्यों मानते हैं ? आप हमें मन्दिरों से दूर क्यों रखते हैं ? आप हमारी बहू बेटियों का अपमान क्यों करते हैं ? इसमें किसी प्रकार के लड़ाई-झगड़े की आवश्यकता और गुजाइश नहीं है।”

गांधी जी ने डा० अम्बेडकर की अनेकों बार प्रशंसा की है। गोल मेज सभा की वहसों में डा० अम्बेडकर गांधी जी पर बुरी तरह बरसे थे। एक दिन उन्होंने वहस में गांधी जी की बहुत बुरी हालत कर दी थी। इस पर पत्रकारों ने गांधी जी से पूछा कि बल की घटना के बाद आपके डा० अम्बेडकर के बारे में क्या विचार हैं। इस पर गांधी जी ने कहा—“डा० अम्बेडकर के प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है। उन्हें कटु होने का पूरा अधिकार है। अगर वे हमारा सर नहीं फोड़ देते तो इसी को उनका बहुत बड़ा आत्म सयम मानना चाहिए।”²¹ एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि यदि दलितों में डा० अम्बेडकर जैसे थोड़े से व्यक्ति और पैदा हो जाएँ तो इन कौमो का भना हो जाए। वास्तव में इन दोनों व्यक्तियों के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये दोनों बेजोड़ थे। पूना पैक्ट के दिन जब गांधी जी एक तरह से मृत्यु शैया पर पड़े थे तब डा० अम्बेडकर समझौते की एक एक शर्त पर दबता से बहस कर रहे थे। उन्होंने इतने बड़े तनाव में भी दब कर या झुक कर काम नहीं किया, न ही वे स्टेट्समैनशिप में हार गए थे। इस पर गांधी जी को डा० अम्बेडकर से कहना पड़ा—“आपके खिलाफ मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि आप सामने वाले पक्ष को जरा सी भी इज्जत देने को तैयार नहीं हैं। आप कट्टर हैं तथा विरोधी की इज्जत पर विश्वास रखने को तैयार नहीं हैं।”²² और जब पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हो गए तब डा० अम्बेडकर ने गांधी जी से कहा—‘आपके आदमियों ने मुझे समझने का जितना प्रयत्न किया, उसके वनिस्वत आपने मुझे समझने का प्रयत्न अधिक किया। मुझे लगता है कि इन लोगों की अपेक्षा आप में और मुझ में अधिक साम्य है।’²³ तब सब खिल खिला कर हंस पड़े और गांधी जी ने कहा—‘हा, हा।’ इन्हीं दिनों गांधी जी ने कहा था—

"कट्टरता के अर्थ में मैं भी एक तरह का अम्बेडकर ही तो हूँ।"²⁴ गांधी जी को और गांधी जी के अनुयायियों को यह पता नहीं था कि डाक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में एक महान प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जिस गरीब कौम में मैं पैदा हुआ हूँ यदि उसके भले में कुछ काम न कर सका तो गोली मार कर आत्म हत्या कर लूंगा। पूना पैक्ट के बारे में डा० अम्बेडकर ने कहा भी था—“इस प्रकरण में खल नायक होना मेरे भाग्य में बड़ा है। परन्तु जिसे मैं पवित्र कर्तव्य मानता हूँ, उससे मैं विचलित नहीं होऊँगा। मैं अपने लोगों के न्यायोचित हितों के प्रति विश्वास घात नहीं करूँगा, फिर भले ही आप मुझे नजदीक के रोशनी के खम्भे पर फासी चढ़ा दें।”²⁵

अब पूरी तरह से समझा जा सकता है कि दलित आन्दोलन का नेतृत्व किसने किया? इसे चार प्रश्नों में रखा जा सकता है

क दलितों की मागों का चार्ट किसने तैयार किया?

ख उन मागों को मनवाने के लिए कौन लड़ा?

ग क्या वे मागें आसानी से मान ली गई थीं।

घ वे मागें किसने मानीं?

इसके साथ दो अनुपगी प्रश्न और बनते हैं

च क्या माग रखने वाले के पास अपनी और मागें बची थीं जो नहीं दी गईं?

छ क्या देने वाला उससे अधिक देना चाहता था जितनी मागें रखी गईं?

ऊपर 'क' और 'ख' का उत्तर डा० अम्बेडकर है। 'ग' का उत्तर यह है कि वे आसानी से नहीं मानी गईं थीं। 'घ' का उत्तर यह है कि वे ब्रिटिश शासकों और भारतीय नेताओं ने मानी थीं। 'च' का उत्तर यह है कि डा० अम्बेडकर के पास बहुत मागें थीं जो वे रखना चाहते थे। 'छ' का उत्तर यह है कि देने वालों के पास देने को इससे अधिक कुछ नहीं था। वास्तव में देने वालों को ऐसे समय बिना हिसाब किताब रखे सदभावना में अपना घर ही लुटा देना चाहिए था।

जिस समय यह लेख लिखा जा रहा है उसे देखते हुए दलित आन्दोलन के इस विषय को पूर्ण बनाने के लिए इसमें बाबू जगजीवन राम का

जिफ़र करना जरूरी है। उनके जिफ़र में उनकी दो भूमिकाएँ रही— पहली डाक्टर अम्बेडकर के जीवन काल में और दूसरी डाक्टर अम्बेडकर के निधन के बाद। उनकी इन दोनों भूमिकाओं की यह भी एक सीमा थी कि ये दोनों उनकी केवल राजनैतिक भूमिकाएँ थीं।

बाबू जगजीवन राम का डाक्टर अम्बेडकर से राजनैतिक अन्तर था। डाक्टर अम्बेडकर के काम को देखने से पता चलता है कि उन्होंने इस अन्तर को कभी कोई अहमियत नहीं दी और न इसकी खास परवाह की। वे पूना पैकट के उस राजनैतिक गणित को अच्छी तरह से समझते थे जिस पर स्वयं उन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे। यह पैकट उनके हाथ का खेल था जो ठीक नहीं बैठा। इसलिए उनके मन में इस बात को लेकर कटुता का प्रश्न नहीं था। बाबू जगजीवन राम से बड़े होने के नाते उन्हें केवल यह अधिकार मिला था कि वे अपनायत के कारण रज कर सकते थे। राजनीति में ज्यादा जुड़ने के कारण बाबू जगजीवन राम को भी यह पता था कि उन्हें डाक्टर अम्बेडकर का दाया हाथ बनने का अवसर प्राप्त नहीं है। बाबू जगजीवन राम राजनीति में दूसरे खेमे के व्यक्ति थे। राजनैतिक शैली के विरोधों को छोड़ कर बाबू जगजीवन राम ने भी डाक्टर अम्बेडकर के प्रति सदा शालीनता बरती थी।

डाक्टर अम्बेडकर के निधन के बाद दलितों का आन्दोलन तो नहीं पर राजनैतिक प्रतिनिधित्व एक तरह से बाबू जगजीवन राम के हाथ में आ गया था। उन्होंने इस कार्य को बड़ी गरिमा से निभाया भी था। दलितों को इस बात का गौरव है कि डाक्टर अम्बेडकर के बाद जगजीवन राम के रूप में उन्होंने हिंदुस्तान को अपना एक अच्छा राजनेता दिया था। बाबू जगजीवन राम भारत के दलितों की तरफ से भारतीय राजनीति में एक अच्छा योगदान थे। जब बाबू जगजीवन राम पर भारतीय राजनीति में सकट के बादल छाए थे तो दलितों का यही पूछना होता था कि उनसे जुड़ कर चलने वाला और उनके मतलब का बाबू जगजीवन राम से बढ़ कर हम अपना दूसरा नेता और कहा

से लाएँ और उसकी भी यह दुर्दशा है ! वास्तव में, डाक्टर अम्बेडकर के निधन के बाद बाबू जगजीवन राम दलितों के अफसरो के मनोबल को थामने वाले भारत सरकार की ओर से एक अच्छे सहारे बन गए थे। उसके बाद वे संपूर्ण भारतीय राजनीति में दलितों की राजनैतिक र्वाहिश बन गए थे जो पूरी नहीं हो सकी।

यदि यह कहा जाए कि बाबू जगजीवन राम का दलित आन्दोलन से कोई लेना देना नहीं था और वे केवल दलित राजनीति से जुड़े थे तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही डाक्टर अम्बेडकर और जगजीवन राम में ज्यादा बड़ा फर्क था। डाक्टर अम्बेडकर ने दलित आन्दोलन को खड़ा किया था जिसे आगे बढ़ाना तो दूर बाबू जगजीवन राम उसका ठीक तरह से प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सके। इसलिए कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण भारतीय राजनीति को अपना 'बाबू जी' देने में दलितों ने अपना 'जगजीवन राम' खोया था। वास्तव में इस प्रक्रिया में दलितों को कुछ नहीं मिला—जो मिला वह केवल बाबू जगजीवन राम के रूप में एक राजनैतिक शालीनता थी जिस पर वे गर्व कर सकते हैं। बाबू जगजीवन राम ने भारतीय राजनीति में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे दलितों का सिर नीचा हो।

जहाँ तक दलितों की अपनी बात है उन्हें अपनी र्वाहिशों में बाबू जगजीवन राम के रूप में नुकसान ही हुआ है। लेकिन डाक्टर अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम दोनों के राजनैतिक जीवन का अन्त एक ही तरह से होने के बाद भी उन दोनों में बड़ा अन्तर था। बाबू जगजीवन राम राजनीति में एक बारहारे तो सब कुछ हारते चले गए लेकिन डाक्टर अम्बेडकर ने राजनीति में हार जाने के बाद धर्म के क्षेत्र में भारत के इतिहास में अपना महानतम आन्दोलन खड़ा कर दिया था। वास्तव में डाक्टर अम्बेडकर का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वे शान्त रह ही नहीं सकते थे। वे आन्दोलनों को जन्म दिया करते थे। वे मूलतः आन्दोलनकारी थे—वे आन्दोलनों की शुरुआत किया करते थे। फिर वे ऐसे ग्रन्थ लिख कर अपने पीछे

छोड़ गए हैं जिससे इस बात में कोई शक नहीं रह जाना चाहिए । कि उनके आन्दोलन इस देश में तभी समाप्त होंगे जब अस्पृश्यता का बीज नाश हो जाएगा और दलितों को बराबरी का हक मिल जाएगा ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित रक्षा के उपाय सविधान के जिन अनुच्छेदों में आए हैं वे इस प्रकार हैं—16(4), 17, 19 (5), 46, 164(1), 244, 244 क, 275, 330, 332, 334, 335, 338, 339, 341, 342, 371 क, 371 ख, 371 ग। ये अनुच्छेद विभिन्न विषयों में फैले हुए हैं। इन्हें पढ़ने से पता चलता है कि सविधान को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शुरू से आखिर तक ध्यान रहा है। सविधान के मौलिक अधिकार वाले अध्याय में दूसरी जातियों के मुकाबले में इन जातियों को विशेष आरक्षण देने का रास्ता निकाला गया है। ऐसा अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। यह इसलिए सम्भव हो सका क्योंकि डा० अम्बेडकर भारत के सविधान के मुख्य शिल्पकार थे।

सविधान का अनुच्छेद 17 इस देश के आज तक के सामाजिक इतिहास में सबसे बड़ा कदम है। इसमें अस्पृश्यता के बारे में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है—“अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है तथा किसी रूप में इसके प्रचलन को वर्जित किया जाता है। ‘अस्पृश्यता’ से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता के लिए बाध्य करने के कृत्य को कानून के अनुसार एक दण्डनीय अपराध माना जाएगा।” सविधान में छुआछूत के नाश का यह गम्भीर घोष मनुस्मृति के देश में डा० अम्बेडकर का डका है। वास्तव में, मनुस्मृति के धार्मिक आदेशों के खिलाफ नए भारत के नागरिकों के जीवन में अस्पृश्यता के नाश को मौलिक अधिकार बना देना कोई छोटी बात नहीं है।

ऐसे ही अनुच्छेद 335 सघ और राज्य सरकारों की सेवाओं

जातियाँ के हितों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 46 नीति व निदेशक तत्वा वाले अध्याय के अंतर्गत है। इसमें इन जातियों के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष मावधानी बरतने तथा सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से मुक्ति दिलाने की बात कही गई है।

जहाँ तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए संवैधानिक रक्षा के उपायों का सम्बन्ध है, उसके दो पहलू हैं पहला, क्या वे पर्याप्त हैं ?

दूसरा, उन्हें लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त है ?

जहाँ तक पहले प्रश्न का उत्तर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग की अप्रैल 1979 से मार्च 1980 तक की दूसरी रिपोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 46 को थोड़े बहुत परिवर्तन से नीति के निदेशक सिद्धान्त वाले अध्याय से निकाल कर मौलिक अधिकार वाले अध्याय में रखने की सिफारिश की गई है।¹⁶ इस परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है कि संविधान के अनुच्छेद 37 में यह उपबन्ध है कि 'नीति के निदेशक सिद्धान्त' वाले अध्याय में किण्वण उपबन्धों को किसी न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए कानूनी दृष्टि से ये प्रावधान निष्प्रभावी बन कर रह जाते हैं। डा० अम्बेडकर ने इस विषय पर अपने विचार एक पुस्तक 'स्टेट्स एण्ड माइनारिटीज' के रूप में लेखबद्ध करके 24 मई 1947 को नेहरू जी को भेजे थे। उनका सुझाव था कि संसदीय लोकतंत्र की सीमा के भीतर राजकीय समाजवाद की स्थापना के लिए 'आर्थिक शोषण के खिलाफ जो संरक्षण प्रदान किए जाएँ उन्हें मूलभूत अधिकार के भाग में शामिल किया जाए।'²⁷

उस समय नेहरू अम्बेडकर की बात नहीं मान सके थे। यह उनके नेतृत्व की समस्या थी। लेकिन नेहरू अम्बेडकर के इन विचारों को त्याग भी नहीं सके थे। नेहरू ने लिखा था—“सिद्धान्त रूप से हम इन उपबन्धों को संविधान में शामिल कर सकते हैं यद्यपि वे मूलभूत अधिकारों की पारम्परिक संकल्पना के अनुरूप नहीं हैं। आपका यह कहना भी ठीक है कि पुरानी संकल्पना को व्यापक बना कर आर्थिक

लोक तंत्र को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हमने इस लक्ष्य को उद्देश्यो में सम्बंधित प्रस्ताव में कुछ अस्पष्ट रूप से ही सही अपने सामने रखा भी है। लेकिन मुझे लगता है कि सविधान में, विशेषकर मूलभूत अधिकारों के भाग में, आर्थिक ढाँचे का स्वरूप ठीक ठीक निर्धारित करना ठीक नहीं होगा। आखिरकार यह व्यावहारिक मसला है और हमें सोचना है कि किस तरह जल्दी से जल्दी हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।²⁸ लेकिन अपने प्रधान मन्त्रित्व काल में चौथा सविधान सशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए नेहरू जी ने कहा था—“यदि नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों में अन्तर्निहित विरोध हो तो नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाएगी और ससद का यह कतव्य होगा कि सविधान में सशोधन करके इस अन्तर्विरोध का अन्त कर दे।”²⁹ दूसरे प्रश्न के उत्तर में आयोग ने लिखा है

- (1) व्यावहारिक अनुभव से यह पता चलता है कि कुछ मामले ऐसे हैं जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। किन्तु जब राज्य सरकारें अनुसूचित जन जातियों के संरक्षण अथवा उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर पाती तब सघ सरकार को, अनुच्छेद 339 (2) में किए गए उपबन्धों के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को निर्देश देने का कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 339 (2) में सघ सरकार को दी गई शक्ति भी अनुसूचित जन जातियों के कल्याण तक ही सीमित है, इसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों का कल्याण शामिल नहीं है।³⁰
- (2) उपयुक्त के अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विरुद्ध किए गए अत्याचार के मामले में उन्हें संरक्षण दिए जाने के संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि क्योंकि कानून और व्यवस्था का विषय राज्य सरकारों का विषय है सघ सरकार को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक प्राधिकार प्राप्त नहीं है। अनुभव से यह पता चलता है कि अत्याचार के मामलों में, विशेष क

अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों में बहुत वृद्धि हुई है। अक्सर यह महसूस किया जाता है कि राज्य सरकारों ने न तो ऐसे विशिष्ट मामलों में कोई प्रभावी कार्रवाई की है और न अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं।³¹

इस पूरे विश्लेषण से दो बातें स्पष्ट उभर कर आती हैं

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित कोई भी कानून, भर्ती अभियान और आर्थिक कार्यक्रम सीधे केन्द्र सरकार के द्वारा या केन्द्र सरकार की सी प्रतिशत देखरेख में चलाया जाए। यह इस चिन्तन की अनिवार्य परिणति है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए इस देश में सदा एक मजबूत केन्द्र की मांग की जाएगी। इन वर्गों के लोगों को सेवाओं में भर्ती के लिए अपेक्षाकृत सघन लोक सेवा आयोग, कमचारी चयन आयोग और बड़े-बड़े बैंकिंग भर्ती बोर्डों पर अधिक विश्वास है। उन्हें स्थानीय निकायों, कालेजों, छुटपुट के दफ्तरों और क्षेत्रीय संस्थानों में बैठ कर भर्ती करने वाले अधिकारियों पर ज्यादा विश्वास नहीं है।

(ख) नौकरशाही का नियर्व्यक्तिक चरित्र मानने से भारी भूल हो सकती है। इस मान्यता में जिनके खिलाफ कानून बनाया जाता है, वे ही लोग उस कानून को लागू करने के लिए तैनात किए जाते हैं। फलतः कानून और कार्यक्रम सफलता की ओर नहीं जा पाते। डा० अम्बेडकर ने भारत की नौकरशाही का वग चरित्र माना है। इसलिए उन्होंने इस नौकरशाही में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों का जन सख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात रखी थी। लेकिन यह उनके लिए एक समझौता भर था। वे अपने चिन्तन में प्रतिबद्ध नौकरशाही के पक्ष में रहे थे। उन्होंने लिखा है—'यह असम्भव है कि ब्राह्मण और अब्राह्मण, हिन्दू और मुसलमान, छूत और अछूत में

असमानता को मिटाने के लिए चल रहे इन आन्दोलनों में, जज, मजिस्ट्रेट, लोक सेवक और पुलिस अपने निर्णयों में इन सघर्षों को अच्छा या बुरा कहने में प्रभावित न हो। खुद उन सघर्ष शील समाजों के सदस्य होने के नाते वे पक्षधर होने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि जनता का उन पर से विश्वास उठ सकता है।”³²

हमारे देश का जागरूक नेतृत्व इस मामले में बहुत कुछ करना चाहता है। भारतीय समाज में अस्पृश्यता की विशेष स्थिति को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 बनाया गया था। बाद में उसका नाम बदल कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 रखा गया। लेकिन 11 सितम्बर, 1989 को राष्ट्रपति की स्वीकृति से एक नया अधिनियम जारी हुआ है। इसका नाम 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' है। इस अधिनियम के आने से ही पता लगता है कि अभी हमारे समाज में अस्पृश्यता की समस्या बनी हुई है। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग के अध्यक्ष ने 9 जनवरी, 1989 को अस्पृश्यता की समस्या पर एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें बताया गया है कि अभी इस समय तक हमारे समाज में अस्पृश्यता के 18 रूप प्रचलित हैं। ये रूप इस प्रकार हैं ³³

- 1 पूजा स्थानों और सावजनिक मंदिरों में प्रवेश की मनाही,
- 2 पेय जल स्रोतों तक न पहुँचने देना,
- 3 चाय की दुकानों, होटलों, रेस्तराओं आदि में प्रवेश न देना।
- 4 नाई की सेवाएँ उपलब्ध न हो पाना,
- 5 धोबी की सेवाएँ उपलब्ध न हो पाना,
- 6 सामाजिक समारोहों में भाग न लेने देना,
- 7 ग्राम 'चौपाल' या ग्राम सभा में प्रवेश न देना,

- 8 शैक्षणिक सस्थाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में भेदभाव बरतना,
- 9 सार्वजनिक होटलों, रेस्तराओं आदि में रखे बतनों का उपयोग न करने देना,
- 10 शवों को हटाने, झाड़ू लगाने आदि जैसे व्यवसाय करने को बाध्य करना,
- 11 किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार आदि को करने से रोकना ।
- 12 सार्वजनिक शमशान या कब्रिस्तान का प्रयोग न करने देना,
- 13 सार्वजनिक रास्ते, सड़क आदि का प्रयोग न करने देना,
- 14 अनुचित या अपमान जनक भाषा का प्रयोग करना,
- 15 किसी आवासीय क्षेत्र का निर्माण या अधिग्रहण न करने देना,
- 16 धर्मशाला, सराय आदि में प्रवेश न देना,
- 17 गहनो, आभूषणों आदि को न पहनने देना,
- 18 सामान्य दुकानों से सामान न लेने देना ।

इस रिपोर्ट में अस्पृश्यता के कारणों के बारे में भी खोजबीन की गई थी। रिपोर्ट के कार्यकर्ताओं ने अपना कार्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिल नाडु तक सीमित रखा था। इसमें अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति के लोगों से पूछा गया था कि वर्ण व्यवस्था को मानने से और धार्मिक पुस्तकों के पढ़ने से अस्पृश्यता जन्म लेती है या नहीं। आयोग को जो पता चला वह नीचे एक चार्ट बना कर दिया जा रहा है।³⁴

अस्पृश्यता जारी रहने के कारणों की जानकारी
अनुसूचित जाति

के सम्मति देने वाले उत्तर दाताओं की सख्या का विवरण

क्रम सख्या	कारण	कुल सख्या	राय नही भेजी	राय भेजी	स्वीका- रात्मक राय	कुल उत्तरदाताओं से स्वीकारात्मक राय देने वालों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	सस्कारजन्य वर्ण व्यवस्था की भावना	929	149	780	452	57.9
2	धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में उत्पन्न हुई धार्मिक कट्टरता और पक्षपात की भावना	929	149	780	212	27.2

गैर अनुसूचित जाति

के सम्मति देने वाले उत्तर दाताओं की सख्या का विवरण

1	सस्कारजन्य वर्ण व्यवस्था की भावना	599	103	496	265	53.4
2	धार्मिक पुस्तकों का पढ़ने में उत्पन्न हुई धार्मिक कट्टरता और पक्षपात की भावना	599	103	496	199	40.1

दलितों के सम्बन्ध में डाक्टर अम्बेडकर को इस प्रकार समझा जा सकता है कि उनका दलितों से सरोकार कितना था। इसका उत्तर यह है कि उनका दलितों से हटकर और कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने अपने समय में केवल दलितों के लिए काम किया और प्राचीन साहित्य में भी उनकी खोज के विषय शूद्र और अछूत थे। यह बात ध्यान देने की है कि डाक्टर अम्बेडकर से पहले भारत के आधुनिक विद्वान इन विषयों में कोई रुचि नहीं लेते थे। और यह केवल डाक्टर अम्बेडकर थे जो प्राचीन धार्मिक साहित्य में से पहली बार यह खोज कर सामने लाए कि उनमें अस्पृश्यता का जन्म किस जगह है। इसके लिए उन्होंने मनुस्मृति में से 8 और विष्णु स्मृति में से 2 श्लोक विशेष रूप से उद्धृत किए हैं। ये 10 श्लोक वण व्यवस्था से बाहर अस्पृश्यों के जन्म और उनके पेशों के बारे में बताते हैं। ये इस प्रकार हैं

- 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णों से बाहर जितने लोग हैं, वे चाहे म्लेच्छ भाषा बोलते हों या आर्य भाषा बोलते हों, वे सब दस्यु कहलाते हैं।³⁵
- 2 ये गाँव की सीमा पार के वृक्ष समूहों के नीचे, शमशानों में, पर्वतों और वनों में अपने अलग-अलग पेशों के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं।³⁶
- 3 लेकिन, चाण्डाल और श्वपच, ये दोनों गाँव के बाहर बसे। ये वृक्ष आदि से वंचित हैं और इनका धन कुत्ते और गधे है।³⁷
- 4 उनके कपड़े मुर्दों के हों, वे टूटे-फूटे वस्तुओं में भोजन करें, उनके आभूषण लोहे के हों और वे सदा घुमकण्ड जीवन व्यतीत करें।³⁸
- 5 धर्मरिक्ता पुरुष इन लोगों के सम्मुख न पड़ें। इनका विवाह इन्हीं में परस्पर होता है और वे आपस में ही सम्बन्ध रखें।³⁹
- 6 इनका भोजन दूसरों के अधीन है। इन्हें फूटे वस्तुओं में अन्न दिया जाना चाहिए और वे लोग रात के समय गाँवों और

शहरो मे घूमने न आएँ ।⁴⁰

- 7 ये लोग राजा की आज्ञा से अपनी जाति के चिह्न के सहित दिन में अपने कार्य के लिए जाएँ और जिस मृतक का कोई सम्बन्धी न हो उस शव को ले जाएँ, यह शास्त्र का नियम है ।⁴¹
- 8 ये लोग राजा की आज्ञा से शास्त्र विधि के अनुसार वध योग्य पुरुषों का वध करें और उन्हीं वधु पुरुषों के वस्त्र, शय्या और आभूषण ग्रहण करें ।⁴²
- 9 जो निम्न जाति की स्त्रियों के साथ सम्बन्ध रखता है, वह वधु है ।⁴³
- 10 यदि कोई अस्पृश्य जानबूझ कर किसी सवण को छूता है तो ऐसा अस्पृश्य वधु है ।⁴⁴

दलितों के सम्बन्ध से डा० अम्बेडकर का आन्दोलन सम्पूर्ण था । उनके आन्दोलन की यह सम्पूर्णता साहित्यिक क्षेत्र तक फैली हुई है । अब दलित साहित्यकारों द्वारा यह क्रांतिकारी काम किया जा रहा है ।

देखा जाए तो इस समय अस्पृश्यता को मिटाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी साहित्यकारों की भी है । उनका मुख्य काम दलितों के वचनों के मन में जो हजारों वर्षों की प्रताड़ना से हीनता की शक्ति धर कर चुकी है उसे मिटाने का है । उनका दूसरा काम भारतीय समाज के सारे लोगों को यह समझाने का है कि अस्पृश्यता को बरतना कानून के अनुसार दण्डनीय ही नहीं बल्कि मानवीय स्तर पर भी बुरा है । तीव्रता और गहराई की दृष्टि से दलित साहित्य यह मान कर चलता है कि अस्पृश्यता मनुष्य का अपमान है और जब तक साहित्यकार के सामने मनुष्य का अपमान हो रहा है, तब तक यदि वह उस विषय को छोड़कर अपने मन के अन्दर के अन्य कम महत्वपूर्ण विषयों पर लिखे तो वह अपने काम के प्रति पूरा न्याय नहीं कर रहा है ।

चूँकि डा० अम्बेडकर के जीवन का महाराष्ट्र के दलितों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा था इसलिए साहित्यिक क्षेत्र में महाराष्ट्र के दलित साहित्यकारों का योगदान अग्रणी रहा है । उन्होंने अपनी कविताओं,

कहानियों और उपन्यासों द्वारा अपनी बात सबसे पहले कहनी शुरू कर दी थी, और चूँकि दलित साहित्यकारों के पास कहने के लिए अपनी बिल्कुल नई चीजें थी इस कारण उनको विघाएँ भी नई आईं। वे साहित्य में पारम्परिक शैली, रूढ़ उपमाओं और पुरानी विधाओं से हट कर नई शैली, नई उपमाएँ और नई विघाएँ खोज कर लाए। इस महत्वपूर्ण कदम के आरम्भ में दलित साहित्य के उफान को ऊबड़ खावड़ स्थानों से गुजरना पड़ा था, लेकिन अब वह हिन्दी में सयत हो कर बहने को छटपटा रहा है। मराठी के दलित साहित्य ने मराठी साहित्य में वाद के रूप में एक विशिष्ट पहचान बना ली है, लेकिन अब हिन्दी में भी वह तमाम हिन्दी पर छा जाने को आतुर है। मराठी के दलित साहित्य ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को अनेकों मायताएँ हासिल की है लेकिन हिन्दी का दलित साहित्य विश्व साहित्य में अपनी नई मान्यताएँ स्थापित करने के मने सजो रहा है।

हिन्दी के दलित साहित्य में दलित और गर दलित दोनों वर्गों के साहित्यकार सामने आ रहे हैं। नामकरण की दृष्टि से कई साहित्यकार अभी पशोपेश में हैं। इसके लिए एक नया नाम 'शेष साहित्य' उभर कर आ रहा है। केवल दो चार लोगों के लिए सिर हिलाने वाली शास्त्रीय कलाओं की बनिस्वत इसमें श्रमिकों और कारीगरों के लोक जीवन से जुड़ी हुई कलाएँ प्रतिष्ठित की जा रही हैं। इसमें जीवन की आवश्यकताओं को कला से जोड़ा जा रहा है।

अब तक मराठी के दलित साहित्य में उपन्यास के रूप में 'आत्म-कथा' एक प्रमुख विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। हिन्दी में दलित वर्गों के दलित साहित्यकारों में अभी कविता एक लोकप्रिय विधा है। हिन्दी के गर दलित वर्गों के दलित साहित्यकारों में कहानी और उपन्यास भी विधा के रूप में उभर कर आ रहे हैं। दलित वर्ग के दलित साहित्यकारों में डा० सुखवीर सिंह की 'अन्तर और 'बयान बाहर' काव्य पुस्तकें बेजोड़ हैं। ओम प्रकाश वाट्मोकि की 'सदियों का सताप' नाम की काव्य पुस्तक बहुत छोटी है परन्तु गुणात्मक दृष्टि से अभिव्यक्ति में बेहद सशक्त है। डा० श्याम सिंह शशि की पौगणिक सदभों

की विचार प्रक्रिया 'अग्नि सागर' से चल कर 'एकलव्य तक पहुँच चुकी है।

हिन्दी में गैर दलित वर्गों के दलित साहित्य में रमेश गोड की काव्य पुस्तक 'पतन गाथा' एक महत्वपूर्ण कृति है। अदम गोडवी की 'धरती की सतह पर' नाम की पुस्तक में संग्रहित नज्में हमें 'चमारो की गली तक' ले जाती है। प्रदीप माण्डव का 'जरीब कहानो संग्रह हिन्दी कहानी के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है। ये गैर दलित वर्ग के कवि और लेखक ज्यादातर अपने आपको मार्क्सवादी और जनवादी साहित्यकार कहते हैं। लेकिन प्रदीप माण्डव अपने दृष्टि कोण में भी खुद को एक दलित साहित्यकार कहते हैं। उनके कहानी संग्रह का प्रत्येक वाक्य सीधे दलितों से जुड़ा है।

इस समय दलित साहित्य अखिल भारतीय स्तर पर लिखा जा रहा है। यह सारी आधुनिक भाषाओं में समृद्ध होना जा रहा है। इन सारी भाषाओं के सकड़ो साहित्यकारों को एक मंच पर लाने की जरूरत महसूस की गई थी। इसके लिए 1984 में नई दिल्ली में भारतीय दलित साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० सोहन पाल सुमनाक्षर इसे बड़ी निष्ठा से चला रहे हैं। यह अकादमी प्रति वर्ष सभी भारतीय भाषाओं में 'अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 'अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार' प्रदान करती है। अभी तक यह अकादमी भारतीय भाषाओं में 40 'अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार' और 4 'अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार' प्रदान कर चुकी है। अनेक राज्यों में इसकी क्षेत्रीय इकाइयाँ खुल चुकी हैं। इसके राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत प्रभावशाली होते जा रहे हैं। इसमें भाषा, प्रांत, जाति, धर्म, लिंग और राजनैतिक दलों का कोई अन्तर नहीं है। इसके सेमिनारों में दलित साहित्यकारों के विचारों का आदान प्रदान निरन्तर चल रहा है।

VI

संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए सरकारी कार्यक्रमों की बात रह जाती है। इनमें सबसे पहला और मुख्य कार्यक्रम सरकारी सेवाओं में इन जातियों के लिए आरक्षण को पूरी तरह से अमल में लाने का है। यदि हम अखिल भारतीय स्तर पर केवल केन्द्र सरकार की बात को लें तो जन सख्या के अनुपात में 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। यह आरक्षण पहली दूसरी, तीसरी और चौथी-चारों श्रेणियों में लागू है। दिनांक 1-1-1988 को केन्द्र सरकार में इनका वास्तविक प्रतिनिधित्व नीचे लिखे अनुसार है ⁴⁵

क्रम सख्या	पदों की श्रेणी	प्रतिनिधित्व का प्रतिशत	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क	8.67	2.30
2	ख	11.18	2.10
3	ग	14.80	4.48
4	घ	19.88	6.10

इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति में एक बग घ' श्रेणी के पद को छोड़ कर अन्य किसी भी श्रेणी में निर्धारित

की विचार प्रक्रिया 'अग्नि सागर' से चल कर 'एकलव्य तक पहुँच चुकी है।

हिन्दी में गैर दलित वर्गों के दलित साहित्य में रमेश गौड़ की काव्य पुस्तक 'पतन गाथा' एक महत्वपूर्ण कृति है। अदम गाडवी की 'धरती की मतलब पर' नाम की पुस्तक में मग्रहित नजमें हमें 'चमारो की गली तक' ले जाती हैं। प्रदीप माण्डव का 'जरीब' कहानी संग्रह हिन्दी कहानी के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है। ये गैर दलित वर्ग के कवि और लेखक ज्यादातर अपने आपको मार्क्सवादी और जनवादी साहित्यकार कहते हैं। लेकिन प्रदीप माण्डव अपने दृष्टि कोण में भी खुद को एक दलित साहित्यकार कहते हैं। उनके कहानी संग्रह का प्रत्येक वाक्य सीधे दलितों से जुड़ा है।

इस समय दलित साहित्य अखिल भारतीय स्तर पर लिखा जा रहा है। यह सारी आधुनिक भाषाओं में समृद्ध होता जा रहा है। इन सारी भाषाओं के सैकड़ों साहित्यकारों को एक भव पर लाने की जरूरत महसूस की गई थी। इसके लिए 1984 में नई दिल्ली में भारतीय दलित साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० सोहन पाल सुमनाक्षर इसे बड़ी निष्ठा से चला रहे हैं। यह अकादमी प्रति वर्ष सभी भारतीय भाषाओं में 'अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 'अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार' प्रदान करती है। अभी तक यह अकादमी भारतीय भाषाओं में 40 'अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार' और 4 'अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार' प्रदान कर चुकी है। अनेक राज्यों में इसकी क्षेत्रीय इकाइयाँ खुल चुकी हैं। इसके राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत प्रभावशाली होते जा रहे हैं। इसमें भाषा, प्रात, जाति, धर्म, लिंग और राजनैतिक दलों का कोई अन्तर नहीं है। इसके सेमिनारों में दलित साहित्यकारों के विचारों का आदान प्रदान निरन्तर चल रहा है।

VI

सविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए सरकारी कार्यक्रमों की बात रह जाती है। इनमें सबसे पहला और मुख्य कार्यक्रम मजदूरी सेवाओं में इन जातियों के लिए आरक्षण को पूरी तरह से अमल में लाने का है। यदि हम अखिल भारतीय स्तर पर केवल केन्द्र सरकार की बात को लें तो जन सरया के अनुपात में 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। यह आरक्षण पहली दूसरी, तीसरी और चौथी-चारों श्रेणियों में लागू है। दिनांक 1-1-1988 को केन्द्र सरकार में इनका वास्तविक प्रतिनिधित्व नीचे लिखे अनुसार है ⁴⁵

क्रम संख्या	पदों की श्रेणी	प्रतिनिधित्व का प्रतिशत	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क	8 67	2 30
2	ख	11 18	2 10
3	ग	14 80	4 48
4	घ	19 88	6 10

इन आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति में एक वग 'घ' श्रेणी के पद को छोड़ कर अन्य किसी भी श्रेणी में निर्धारित

कोटा पूरा नहीं किया गया है। चतुर्थ श्रेणी के कमचारियों के बारे में यह भ्रम ही जाता था कि शायद इनमें कोटा पूरा कर लिया गया है। लेकिन अब सरकार स्वीपरी को आरक्षण के कोटे के लिए नहीं गिनती है।⁴⁶

फिर जो लोग सरकारी सेवाओं में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी सभी समस्याएँ नौकरी प्राप्त करने से समाप्त हो जाती हैं। उनकी अगली समस्याएँ सेवा सम्बन्धी शिकायतों को होती हैं जिनमें अनेक प्रकार के मानसिक उत्पीड़नों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। चयन करने में और नियुक्ति आदेश देने में विलम्ब करना, समय पर पदोन्नति न देना, वरिष्ठता का गलत निर्धारण किया जाना, पदावनति कर देना, रोस्टर न बनाना, आरक्षण नीति को लागू न करना, सवर्णों द्वारा अनुसूचित जाति के झूठे प्रमाण पत्र बनवा कर नौकरी हथिया लेना, नियोजक द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार करना, अनुभव तथा शैक्षिक योग्यता आदि में कानून सम्मत छूट न देना, गलत सोचे हुए स्थानान्तरण, नौकरी से निकाल देना, गौपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल इन्दगज कर देना ताकि पदोन्नति का हकदार न बन सके, अनियमित नियुक्तियाँ, प्रशिक्षण सुविधाएँ देने से इकार—ये इतने सारे मामले हैं जो अनेकों अवसरों पर इन वर्गों के लोगों को दुखी किए रहते हैं। स्वयं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग ने लिखा है कि उसके पास वर्ष 1884-85 के दौरान 3165 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 1112 इसी प्रकार की शिकायतों के थे। इनमें से 57 शिकायतों को खुद आयोग ने दूर करवाया था।⁴⁷ इन्हीं कारणों से कई लोग कोर्टों में जा कर अपना धन मन और समय बर्बाद करते रहते हैं।

यहाँ सरकार के परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रयत्नों का जिक्र किया जाना जरूरी है। सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की है ताकि वे लोग परीक्षाओं में अपनी अच्छी योग्यता दिखा सकें। इस समय देश में 103 ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं।

पिछले वर्ष केन्द्र सरकार के मामले यह बात बड़ी गम्भीरता से

सामने आई थी। इसके लिए केन्द्र ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगो के लिए तीन महीने का विशेष भर्ती अभियान छेड़ा था। इसका फोलो अप भी बहुत अच्छा किया गया है। अभी भी यह काम जारी है। इसमें कानून की दृष्टि से भी कई अच्छी बातें बनी हैं। सीधी भर्ती में 'बैक लोग' की नई परिभाषा आई। इस विशेष भर्ती अभियान का परिणाम मन्त्रालयो विभागो, केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालयो और रेलवे के दफ्तरो को सम्मिलित करते हुए इस प्रकार है

क्र० सं०	रिक्तिया/नियुक्तिया	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रिक्तिया	18002	17645	35647
2	नियुक्ति दी गई	17326	13927	31253

आज दलिता का हर मुद्दा आरक्षण पर आ कर रुक जाता है। आरक्षण के बारे मे कई विचार बनते है। स्वय दलितो की दृष्टि से इस पर दो तरह के विचार बनते है। असल में दो भी न रह कर दलितो के चार विचार बन जाते है। गर दलितो के भी विचार जानने के लिए एक चाट बना कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। चाट इस प्रकार बनता है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति
का आरक्षण

	सेवाओं में	राजनीति में	शिक्षा में
(क) दलित हिन्दू			
(1) उदार वादी	हां	हां	हां
(2) गैर उदार वादी	हां	नहीं	हां
(ख) नव बौद्ध	हां	हां	हां
(ग) गैर दलित हिन्दू			
(1) उदार वादी	हां	हां	हां
(2) गैर उदार वादी	नहीं	नहीं	नहीं
(घ) अहिन्दू			
(1) ईसाई	नहीं	नहीं	नहीं
(2) मुसलमान	नहीं	नहीं	नहीं

इस विश्लेषण में जैन और सिखों को गैर दलित हिन्दू माना जा सकता है। सिखों में अनुसूचित जाति के लोगों के आरक्षण की पूरी सुविधा है। प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की महाराष्ट्र में की गई नई घोषणा के अनुसार अब अनुसूचित जाति के लोगों को बौद्ध बनने पर भी आरक्षण की वे सारी सुविधाएँ मिलेंगी जो उन्हें पहले मिलती रही हैं। इस घोषणा से डा० अम्बेडकर के धार्मिक आन्दोलन और देश के भावी इतिहास पर गहरा असर पड़ने वाला है।

यहाँ यह भी ध्यान रहे कि ऊपर के खाने पहली बार में सामान्य वृद्धि से भरे गए हैं। अधिक गहराई में जाने से इनमें परिवर्तन हो सकते हैं। दलितों से लेकर गैर दलितों तक और हिन्दुओं से लेकर गैर हिन्दुओं तक के लोगों के सरकारी और गैर सरकारी मतव्यों में अन्तर पड़ जाते हैं। एक ही मनुष्य के सरकारी मत और गैर सरकारी मत आपस में विरोधी तक हो सकते हैं। इसलिए ऊपरी आँकड़ों से लोगों के भीतर वाले मन की बात का पता नहीं चलता। यह मनोवृत्ति की, इरादों की मनोवृत्ति की और धर्माघता से जुड़ी हुई मनोवृत्ति की बात भी है।

VII

भारत में वर्ष 1984 में अत्याचार के जिन मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति शिकार हुईं, उसका अपराध वार विवरण इस प्रकार है⁴⁸

क्र० स०	जाति	हत्या हिंसा बलात्कार आगजनी भारतीय दंड संहिता के अधीन अन्य कारण				
1	अनुसूचित जाति	551	1468	696	988	12883
2	अनुसूचित जन जाति	144	296	283	123	2965
	योग	695	1764	979	1111	15848

पूरे देश में 1984 के दौरान अत्याचार के जिन मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति शिकार हुईं उनके पुलिस और न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की संख्या इस प्रकार है⁴⁹

क्र० स०	जाति	पुलिस में अन्वेषण पूरा होने वाले लम्बित पड़े मामलों की संख्या	न्यायालय में ट्रायल के लिए लम्बित पड़े मामलों की संख्या
1	अनुसूचित जाति	4416	28873
2	अनुसूचित जन जाति	2693	3688
	कुल	7109	32561

आयोग ने अपनी समीक्षा में कहा है कि कुल मामलों में से औसतन 25 प्रतिशत मामले न्यायालयों तक पहुँच पाए हैं और उनमें से

14 प्रतिशत मामले दोष सिद्धि में समाप्त हुए हैं। इन आकड़ों के बारे में आयोग आगे लिखता है—“1984 में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों में से केवल 10 प्रतिशत मामलों में अपराधी दोषी पाए गए जबकि शेष 90 प्रतिशत मामलों में अपराधी या तो पुलिस अन्वेषण के दौरान छूट गए या फिर साक्ष्य के अभाव में न्यायालयों द्वारा छोड़ दिए गए।”

आयोग ने इस कमी के प्रमुख कारण इस प्रकार बताए हैं—“पुलिस द्वारा की गई जांच पड़ताल में त्रुटियां रह जाना, न्यायालयों में अभियोजन पक्ष के अधिकारियों द्वारा मामलों को निपटाने में अकुशलता अथवा उदासीनता दिखाना, तथा उत्पीड़ित व्यक्तियों और उनके गवाहों का दबाव, लालच अथवा धमकियों के आगे झुक जाना। बहुत से मामलों में मुकदमा लम्बा खिंच जाने से उत्पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में अपने मामलों का सफलता पूर्वक संचालन नहीं कर पाते और हतोत्साहित हो जाते हैं।”⁵⁰

आयोग ने इस बारे में सरकार को अपनी सिफारिश दी है। आयोग की यह सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण है। आयोग लिखता है—“न्यायालयों में छुआछूत के मामलों के असफल होने के कारणों की राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त स्तर पर समीक्षा कराई जाए। पुलिस अथवा अभियोजन पक्ष के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण यदि न्यायालयों में मामला दोष मुक्ति में समाप्त हो जाता है तो सरकार द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी ओर जिन अधिकारियों का काम अच्छा पाया जाता है उन्हें समुचित प्रोत्साहन दे कर सम्मानित किया जाना चाहिए।”⁵¹

आयोग इस समझ तक पहुँच गया है कि हमारी सरकारी सेवाओं में दो तरह के कर्मचारी और नौकरशाह शामिल हैं। एक वे हैं जो छुआछूत के मामलों में लापरवाही करते हैं और दूसरे वे हैं जो इन्हें निष्ठा पूर्वक निपटाते हैं। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि लापरवाह नौकरशाहों को दण्ड तथा अच्छा काम करने वाले नौकरशाहों को

प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे आगे आयोग ने इस समस्या का विश्लेषण नहीं किया है।

आयोग ने समस्या को टुकड़ों टुकड़ों में समझने में कोई भूल नहीं की है। उसने अपनी इसी रिपोर्ट में अत्याचारों के पीछे कारणों का जिज्ञासु करते हुए लिखा है—“अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों में शिक्षा का अभाव और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण साहूकार, ठेकेदार और ऊँची जाति के भूस्वामी इनका शोषण करते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर ऊँची जाति के प्रभाव शाली भूस्वामियों का सदियों से दबदबा और आधिपत्य चला आ रहा है—उसमें वे कोई ढील नहीं देना चाहते।”¹²

इस उद्धरण में आयोग समस्या के असली कारण के बहुत नजदीक आ चुका है। आगे उसे जो काम करना था वह पहली और दूसरी बात को आपस में जोड़ देना था। यह काम उसने नहीं किया है। साहूकार, ठेकेदार और ऊँची जातियों के भूस्वामी अनुसूचित जातियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। फिर उन्हीं के बच्चे बिना किसी लोक तान्त्रिक समाजवादी और घम निरपेक्ष स्कीमिंग के गणित और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करके शक्ति शाली नौकर शाह बन जाते हैं। यही डा० अम्बेडकर का चिन्तन शुरू हो जाता है। इसलिए डा० अम्बेडकर प्रतिबद्ध नौकर शाही की बात करते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वे प्रयोगात्मक स्तर के हैं। उन्हें हर दूसरे, तीसरे या पाचवे साल में बदल दिया जाता है। जो आई० आर० डी० पी०, एस० एफ० डी० ए० और एम० एफ० ए० एल० की स्कीम थी उन्हें अन्त में विशेष सघटक योजना में परिवर्तित कर दिया गया है। जहाँ तक डा० अम्बेडकर के चिन्तन का सवाल है वे इस क्षेत्र में इतने प्रयोग करने वाले नहीं थे। उनके मस्तिष्क में इन वर्गों के विकास के लिए एक मुकम्मिल और ठोस योजना थी। यह इस बात से जाहिर होता है कि डा० अम्बेडकर तत्कालीन प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा उनको अपने कैबिनेट में दिए गए विधि मन्त्री

के पद से सन्तुष्ट नहीं थे।⁵³ डा० अम्बेडकर का मानना था कि उन्हें विधि मन्त्री के रूप में कोई खास काम करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। यह सोचने की बात है कि योजना मन्त्री के रूप में वे देश के लिए किस प्रकार की योजना बना कर देते। वास्तव में यह यकीन करने का पूरा कारण है कि उनके दिमाग में देश के भविष्य के बारे में अपने ढंग का एक पूरा खाका था।

जहां तक विशेष सघटक योजना की सफलता या असफलता की बात है, उसके लिए छठी पंच वर्षीय योजना वर्ष 1980-85 के लिये बजट में रु० 4, 204 करोड़ आवंटित किए गए थे। इसमें से रु० 3,533 करोड़ खर्च हुए। इसके साथ ही, इन वर्गों को ऊपर उठाने के लिए केंद्र सरकार कुछ विशेष सहायता भी देती है। छठी पंच वर्षीय योजना में इसके लिए रु० 600 करोड़ की राशि में से रु० 595 करोड़ खर्च हुए हैं। सातवीं पंच वर्षीय योजना में इस मद में रु० 930 करोड़ आवंटित किए गए हैं।⁵⁴

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग की छठी रिपोर्ट में पहली स्कीमों की समीक्षा की गई है। आयोग ने लिखा है कि ये स्कीमों बिना किसी परिप्रेक्ष्य के तदर्थ आधार पर तैयार की गईं जिनका स्वरूप मुख्यतः कल्याण योजनाओं का था।⁵⁵ सातवीं रिपोर्ट में आयोग ने लिखा है—“यह देखने में आया है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने ठीक प्रकार से योजना तैयार किए बिना विशेष केंद्रीय सहायता खर्च करने की प्रवृत्ति बना ली है जबकि पहले उन क्षेत्रों और कार्यक्रमों की शिनाख्त की जानी चाहिए जिन पर यह सहायता खर्च की जाती है।”⁵⁶

आयोग की सातवीं रिपोर्ट में कहा गया है—“अधिकांश गरीब वर्गों को न तो इन योजनाओं और न ही अपेक्षित काम प्रणाली की कोई जानकारी है। गरीब वर्गों में जो थोड़े से लोग लाभ प्राप्त करने के लिये चुन लिए जाते हैं, उन्हें प्रायः ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जाता है जिसका अर्थ वे पूरी तरह नहीं समझते हैं तथा अभीष्ट लाभ का मात्र एक छोटा सा हिस्सा उन्हें मिल जाता है।”⁵⁷

सरकार की विभिन्न रिपोर्टें बताती हैं कि इन कार्यक्रमों को लागू करने में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन इनका आकलन करने की भी जरूरत है। इस बात को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है कि ये कार्यक्रम फेल क्यों होते हैं या इनमें अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिल पाती ?

डा० अम्बेडकर ने अपने समय में इस कारण का ऐतिहासिक विश्लेषण किया था। इन सारी असफलताओं के लिए उन्होंने भारत की नौकर शाही को जिम्मेदार बताया था। उनके समय में ये कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुए थे—इनमें से बहुत सारे अभी बाद के कार्यक्रम हैं लेकिन इनकी असफलताओं के बारे में उन्होंने इनके जन्म लेने से पहले ही समाज मनोविज्ञान के आधार पर भविष्य बाणी कर दी थी। उन्होंने पूछना चाहा था कि अपने जीवन में अस्पृश्यता को बरतने वाले अधिकारी अस्पृश्यता को कैसे मिटा देंगे ? जमींदारों के युवक नौकर शाह होने पर अपनी कृपि जमीन को भूमिहीनों में कैसे बांट देंगे ? अपने घर में भगी को मनुष्य न मानने वाला जज एक भगी द्वारा किसी सवण के खिलाफ मान हानि के मुकदमे को कैसे स्वीकार करेगा ?

पहले भी बताया गया है कि भारत में नौकर शाही का निर्व्यक्तिक चरित्र माना गया है। इसमें माना गया है कि कैसे भी सविधान या किसी भी विचार धारा को ले कर कोई भी व्यक्ति या दल देश का शासक बन जाए, यह नौकर शाही उसी की सेवा करने लगेगी। डा० अम्बेडकर ने इसे सही नहीं माना है। इस बारे में उन्होंने काल मार्क्स को याद किया है कि वे ऐसे चिन्तक थे जिन्होंने प्रतिवद्ध नौकर शाही की जरूरत महसूस की थी। डा० अम्बेडकर इस देश में अपने हिसाब की ऐसी ही प्रतिवद्ध नौकरशाही की आवश्यकता पर बत देते हैं।

VIII

हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने अपने विभिन्न भाषणों में कहा था कि लोगों को इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने 18 जून, 1988 को कोयम्बतूर में जिला अधिकारियों की कार्यशाला में दिए गए अपने भाषण में कहा था—'प्रशासन पर होने होने वाला खर्चा पहले ही बहुत बढ़ गया है। हमारे पास जनता को देने के लिए जो कुल धन उपलब्ध होता है, उसके बड़े हिस्से को प्रशासन की अपनी लागत हड़प जाती है और उसका थोड़ा सा भाग ही लोगों को मिल पाता है।'⁵⁸ उन्होंने इस बात को 24 फरवरी, 1989 को 'पंचायती राज और अनुसूचित जाति' के विषय पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई कान्फ्रेंस में अपने भाषण में आगे और स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था—'हमें मालूम है कि हम दिल्ली से कार्यक्रमों को ठीक तरह से लागू करने में सफल नहीं हो रहे हैं—कहीं न कहीं इस प्रक्रिया में कुछ न कुछ गलत है। और जब निचले स्तर पर कोई गलती होती है तो हम इस बात का भी अंदाज लगाने में असमर्थ रहते हैं कि जो अच्छा या बुरा होता है वह किस हद तक है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और शिकायतें करते हैं। कुछ दूसरे लोग मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से शिकायतें करते हैं लेकिन अंत में ये केस जांच पड़ताल के लिए उसी स्तर पर जाते हैं जिस स्तर पर गलती हुई होती है। परिणाम स्वरूप, इन मामलों में की गई कार्रवाई न आपको सतुष्ट कर पाती है और न हमें ही और आपकी समस्या ज्यादा बनी रहती है।'⁵⁹

इस देश में प्रशासन के बारे में नए चिन्तन की जरूरत की बात पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी 2 अक्टूबर, 1963 को कुरुक्षेत्र में दिए

गए अपने भाषण में कही थी। पूर्व प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्द उद्धृत किए थे— 'अब हमें धीरे धीरे यह पता चला है कि हमारे प्रशासनिक ढाँचे का सारा दृष्टिकोण ही बदला जाना है। यदि सच में प्रगति की जानी है तो इसे खास तौर पर निचले तबकों में और ग्रामीण भारत में बदलने की बेहद जरूरत है।'⁶⁰ स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि नौकर शाही हमारे देश के विकास के रास्ते में एक भारी रोड़ा है।

राजीव गांधी ने इस कांग्रेस में अपने समापन भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था— "आपने अपना यह विचार मजबूती से रखा है कि आप प्रशासन का विश्वास नहीं करते।" इसके बाद उन्होंने इस समस्या के समाधान में राज्य सरकारों की बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारों के साथ कुछ गलत फहमी और सन्देह घर कर चुके हैं। उन्होंने समाधान में बताया कि हम राज्य सरकारों को कमजोर किए बिना पंचायतों के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण भी नहीं समझा जाना चाहिए।

इस कांग्रेस में विशेष सघटक योजना को लागू करने के लिए वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था से हट कर एक अलग पृथक समिति बनाने का सुझाव आया था। पूर्व प्रधान मन्त्री ने इस सुझाव को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था— "लेकिन विशेष सघटक योजना के कार्यक्रम ही एक पृथक समिति के माध्यम से लागू किये जा सकते हैं ? और दूसरे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो पृथक समिति के द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं।"⁶¹

इस कांग्रेस में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की नीति पर भी नए दृष्टिकोण से विचार किया गया था। उन्होंने अपने पहले दिन के भाषण में कहा था कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अल्प सङ्ख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को विशेष शक्तियाँ देने के बारे में कुछ सुझाव आए हैं। उनमें से एक सुझाव है कि यह कार्य आरक्षण को लागू करके किया जा सकता है जो अब तक लाभकारी सिद्ध हुआ है। लेकिन आरक्षण के बारे में भी यह समस्या बनी रहती है कि आरक्षण को कैसे अमल में लाया जाए और लोगों को कैसे चुना जाए।

उदाहरण के लिए मुझे बताया गया है कि हमारे देश में एक तरीका यह है कि जो व्यक्ति सबसे कम वोट प्राप्त करना है उसे आरक्षित सीट के लिए नामित कर दिया जाता है। इसके बिना दूसरी तरीके भी हैं। कुछ एक तरह से नुकसानदायक हैं तो कुछ दूसरे हमें दूसरी तरह से कमजोरी की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए आज के आरक्षण के तरीके में यदि एक जगह आरक्षण किया जाता है तो यह वही पर रक कर रह जाता है। फिर कमजोर वर्गों के दूसरे लोगों के लिए कोई अवसर नहीं रह जाता। उद्देश्य यह था कि हमारे समाज के वर्गों में जो खाइयाँ थी उन्हें आरक्षण द्वारा कम किया जाए, लेकिन इसे जिस तरह में कार्यान्वित किया गया है उस तरह से इसने इन खाइयों को म्थायी बना दिया है। एक सुरक्षित सीट से दूसरा कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता और दूसरे समुदाय अपने आप को अलग थलग पड़े महसूस करते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि सामान्य सीटों में से बहुत कम हरिजन और आदिवासी चुनाव जीत पाते हैं। हम चाहते हैं कि हरिजन और आदिवासी समाज की मुटय धारा के साथ एकमएक हो जाएँ जिससे हरिजन, आदिवासी ऊँची जाति, नीची जाति आदि का अंतर एक दिन अपने आप मिट जाए। लेकिन मुझे डर है कि हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है।⁶²

हमारे वर्तमान श्रम और कल्याण मन्त्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सरकार की आरक्षण नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोक सभा और विधान सभाओं में राजनीतिक आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण नीति किसी दल विशेष की नहीं बरन राष्ट्रीय नीति है। संविधान बनाते समय आरक्षण को समाज के पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए आवश्यक समझा गया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में आरक्षण की दो श्रेणियाँ हैं—लोक सभा और विधान सभाओं में राजनीतिक आरक्षण तथा सरकारी नौकरियाँ में आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण का हर 10 वर्षों बाद नवीनीकरण करना आवश्यक है जबकि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की कोई

अवधि नहीं है। उन्होंने राजनीतिक आरक्षण का विधेयक राज्य सभा में पेश कर दिया है।⁶³ सरकारी सेवाओं में रिक्तियाँ पूरी न होने के लिए उन्होंने उन अधिकारियों के लिए दण्ड की व्यवस्था की भी जरूरत महसूस की है जिनके हाथ में रह कर ये रिक्तियाँ भरी नहीं जाती हैं।

अभी कुछ जगह पर कुछ छात्रों का आरक्षण विरोधी अभियान चल रहा है। इसके बारे में हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री विश्व नाथ प्रताप सिंह ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण के खिलाफ वर्तमान आन्दोलन के बारे में राष्ट्रीय मोर्चा ससदीय दल की पहली बैठक में बोलते हुए स्पष्ट किया कि ससद में प्रस्तावित विधेयक केवल लोक सभा तथा विधान सभाओं में आरक्षण को 10 वर्ष और ज्यादा रखने के सम्बन्ध में है, अन्य आरक्षणों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरक्षण की जरूरत महसूस करते हुए बताया कि जब तक समाज में शोषण समाप्त नहीं होता, आरक्षण जारी रखना होगा।⁶⁴ ससद के दोनों सदनों ने एक मत से इस विधेयक को पारित कर दिया है।

सदभ

- 1 डा० बाबा साहेब अम्बेडकर राईटिंग एण्ड स्वीचेज, वोल्यूम 5, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आफ महाराष्ट्र, बम्बई 400032, 1989, प० 238
- 2 सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खण्ड 48, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, 1971, पृ०-32,
- 3 वही, पृ० 38
- 4 वही, प० 129
- 5 वही, पृ० 177
- 6 वही, पृ० 178
- 7 वही, पृ० 286
- 8 वही, प० 323
- 9 वही, प० 330
- 10 वही, पृ० 331
- 11 डा० बाबा साहेब अम्बेडकर, राईटिंग एण्ड स्वीचेज, वोल्यूम 2, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आफ महाराष्ट्र, बम्बई 400032, 1982, पृ० 660
- 12 वही, प० 660
- 13 सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खण्ड 48, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, 1972, पृ० 248
- 14 डा० बाबा साहेब अम्बेडकर, राईटिंग एण्ड स्वीचेज, वोल्यूम 1, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आफ महाराष्ट्र, बम्बई 400032, रीप्रिंट 1989, पृ० 81
- 15 वही, पृ० 86
- 16 डा० अम्बेडकर, साइफ एण्ड मिगन, पब्लिशर कीर, पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, रीप्रिंट, 1981 पृ० 214
- 17 चुनावी हवा क्या करवट लेगी दैनिक राजनीति ? मासिक नाम, गणराय, पम्पुग, 10 9 1989, पृ० 6 12

- 18 नागमय सस्कृति, हिन्दी साप्ताहिक, उज्जैन, 16 जनवरी, 1990, पृ० 4
- 19 अम्बेडकर जीवन दशन, डी० आर० निम, विद्या विहार, 1685, कूचा दखनी राय, दरिया गज, नई दिल्ली 110002, प्रथम सस्करण, 1986, पृ० 80
- 20 वही, पृ० 84
- 21 सम्पूण गाधी वाङ्मय, खड अडतालीस, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1971, प० 248
- 22 डा० अम्बेडकर जीवन दशन, विजय कुमार पुजारी, भारतीय बौद्ध महा सभा, दिल्ली प्रदेश, बुद्ध विहार, अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली 110055, द्वितीय सस्करण, 1984, पृ० 114
- 23 वही, पृ० 114
- 24 वही, प० 114
- 25 वही, प० 109
- 26 अनुसूचिन जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की दूसरी रिपोट, अप्रैल, 1979 से माच, 1980, पृ० 17-18
- 27 डा० अम्बेडकर एक चिन्तन, लेखक मधुलिमये, अनुवादक, मस्तराम कपूर, सरदार बल्लभ भाई पटेल एजुकेशन सोसायटी, नई दिल्ली, पृ० 96
- 28 वही, पृ० 97
- 29 ससदीय काय मन्त्रालय द्वारा 'नेहरू और ससदीय लोक तत्र' पर 1989 म आमन्त्रित अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता मे सम्मिलित लेख, प्रतियोगी, नानेद्र मत्युजय ।
- 30 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की दूसरी रिपोट प० 17
- 31 वही रिपोट, पृ० 17
- 32 डा० बाबा साहेब अम्बेडकर राईटिंग एण्ड स्पीचिज, बोल्यूम 2, एजुकेशन डिपाटमट, गवनमेट आफ महाराष्ट्र, बम्बई 400032, 1982, पृ 396-7
- 33 अस्पश्यता की समस्या पर एक रिपोट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 9 जनवरी '1989, पृ० 10

34 वही, पृ० 13

35 मुखबाहूरूपज्जाना या लोके ज्ञातयो बहि ।

सुसुनि 10-4

स्तेच्छवाचश्चार्यवच सर्वे दस्यव स्मता ॥

36 चतुद्रुमश्मशानेषु शलेषु पवनेषु च ।

वही, 10-50

वसेयुरेते विज्ञानो वतपत स्वरुमभि ॥

37 चाण्डालश्चपशाना तु बहिर्प्रमात्रनिधय ।

वही, 10-51

अपपात्राश्च क्तव्या घनमेया स्वर्गभम् ॥

38 वामासि मृतचलानि भिनामाडेपु भात्रतम ।

वही, 10 52

काष्णायमलकार परिवज्जा च निरन्ता ॥

39 न त तमयमविच्छेत्पुष्टपो घममाचरत ।

वही 10-53

ध्यवहारो मियस्तेषां विवाह मग्ग मद्र ॥

40 अनमेया पराधीन देव स्यान्निन भात्रने ।

वही 10-54

रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥

41 दिवा चरयु कायाय चि ह्ना रात्रगामन ।

वही 10-55

अवाधव गव चव निहरेपुरिनि म्दिने ॥

42 वध्याश्च ह्यु सतत दयागास्त्र नपागा ।

वही, 1 55

वध्यवामांनि गहणीषु गययादधाभरणांनि च ॥

विन्द 827 4 13

43 अन्त्यागमने वध्य ।

44 अस्पदय कामकारेण सुसुनु

स्पुय श्रवाणिक वाय ।

- 53 डा० अम्बेडकर एक चिन्तन, लेखक मधुलिमये, अनुवादक मस्तराम कपूर, सरदार बल्लभ भाई पटेल एजुकेशनल सोसायटी, नई दिल्ली, 1989, पृष्ठ-85।
- 54 द सेविच फाइव ईयर प्लान, 1985-90, वोल्यूम II, चप्टर-15, सोशियो-एकानोमिक प्रोग्राम्स फार शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, टेबल 15.5
- 55 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की छठी रिपोर्ट, अप्रिल 1983 से मार्च 1984, पृष्ठ-18
- 56 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग की सातवीं रिपोर्ट, पृष्ठ-44
- 57 वही रिपोर्ट, पृष्ठ-49
- 58 राजीव गान्धी, सेलेक्टेड स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स, वोल्यूम 4, 1988, पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री आफ इन्फोर्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमट आफ इण्डिया, सितम्बर 1989, पेज-163
- 59 नेशनल काफ्रेस आन पंचायती राज एण्ड शेड्यूल्ड कास्ट्स, ए ब्रीफ रिपोर्ट, फरवरी 24-27, 1989, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, नेशनल कमिशन फार शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नई दिल्ली, पृष्ठ-39
- 60 वही, पृष्ठ 39
- 61 वही, पृष्ठ-46
- 62 वही, पृष्ठ-40
- 63 नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 20-12-1989, पृष्ठ 1, कालम 7 8
- 64 दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 20-12-1989, पृष्ठ-1, कालम 6

